पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–16] रुड़की, शनिवार, दिनांक 24 जनवरी, 2015 ई0 (माघ 04, 1936 शक सम्वत्) [संख्या–04

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	47–61	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	33–34	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	05–35	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

गृह अनुभाग–8

अधिसूचना

15 दिसम्बर, 2014 ई0

संख्या 788/XX(8)2014-11(37)2006 TC (I)–श्री राज्यपाल महोदय, साधारण खण्ड अधिनियम, 1896 (अधिनियम संख्या 10, सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या 2, सन् 1974) की धारा 2 की उपधारा (ध) में प्रदत्त उपबन्धों एवं इस सम्बन्ध में प्रदत्त समस्त समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनपद रूद्रप्रयाग की रिपोर्टिंग पुलिस चौकी, गुप्तकाशी को उच्चीकृत करते हुए पुलिस थाना, गुप्तकाशी के रूप में गठित किये जाने एवं तद्नुसार अधिसूचित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

उक्त के फलस्वरूप परिशिष्ट–1 में उल्लिखित थाना, रूद्रप्रयाग एवं परिशिष्ट–2 में उल्लिखित राजस्व पुलिस क्षेत्र, के ग्राम/मोहल्ला, पुलिस थाना गुप्तकाशी, जनपद रूद्रप्रयाग के प्रादेशिक क्षेत्र में सम्मिलित होंगे तथा क्रमशः थाना रूद्रप्रयाग एवं सम्बन्धित राजस्व पुलिस क्षेत्र के अधिकारिता क्षेत्र से निकाल दिये जायेंगे।

परिशिष्ट 1

(अधिसूचना संख्या 788/XX(8)2014-11(37)2006 TC (I)

क्रम संख्या	ग्राम/मोहल्ला का नाम	तहसील
01	ल्वारा	ऊखीमठ
02	लमगौण्डी	ऊखीमठ
03	त्रियुगीनारायण	ऊखीमठ
04	मुनकटिया	ऊखीमठ
05	न्यालसू	ऊखीमठ
06	फाटा	ऊखीमठ
07	कोनगढ	ऊखीमठ
08	मैखण्डा	ऊखीमठ
09	गौरीकुण्ड	ऊखीमठ
10	खडिया	ऊखीमठ
11	बडासू	ऊखीमठ
12	खुमेरा	ऊखीमठ
13	नाला	ऊखीमठ
14	देवर	ऊखीमठ
15	सॉकरी	ऊखीमठ
16	रूद्रपुर	ऊखीमठ
17	गुप्तकाषी	ऊखीमठ
18	भैसारी	ऊखीमठ
19	सेमीतल्ली	ऊखीमठ
20	धारसेमी	ऊखीमठ
21	आसमा	ऊखीमठ
22	ह्यूण	ऊखीमठ
23	जुरानी	ऊखीमठ
24	गाडी	ऊखीमठ
25	भेतसेम	ऊखीमठ

1	2	3
26	ब्यूँग	ऊखीमठ
27	मजोसी	ऊखीमठ
28	सीतापुर	ऊखीमठ
29	रामपुर	ऊखीमठ
30	ब्यूँगाड	ऊखीमठ
31	सेमी	ऊखीमठ
32	कुण्ड	ऊखीमठ
33	विद्यापीठ	ऊखीमठ
34	कालीमठ	ऊखीमठ
35	श्री केदारनाथ	ऊखीमठ
36	गरूडिया	ऊखीमठ
37	घिनुरपानी	ऊखीमठ
38	रामबाडा	ऊखीमठ
39	भीमबली	ऊखीमठ
40	जंगलचट्टी	ऊखीमठ

परिशिष्ट 2

(अधिसूचना संख्या 788/XX(8)2014-11(37)2006 TC (I)

क्रम संख्या	ग्राम/मोहल्ला का नाम	तहसील
01	कोठेडा	ऊखीमठ
02	कोरखी तल्ली	ऊखीमठ
03	कोरखी मल्ली	ऊखीमठ
04	बणसू	ऊखीमठ
05	त्यूडी	ऊखीमठ
06	देवसाल	ऊखीमठ
07	ग्वींता	ऊखीमठ
08	थगसाली	ऊखीमठ
09	देवांगण	ऊखीमठ
10	जमलोक	ऊखीमठ
11	सल्या	ऊखीमठ
12	दिवली भणिग्राम	ऊखीमठ
13	खेडा	ऊखीमठ
14	तुलंगा	ऊखीमठ
15	फलीफसालत	ऊखीमठ
16	चौण्डी	ऊखीमठ
17	सिंगोली	ऊखीमठ
18	नमोली	ऊखीमठ
19	अकडधार	ऊखीमठ
20	ल्वॉणी	ऊखीमठ
21	किमोड्या	ऊखीमठ
22	खाल	ऊखीमठ

1	2	3
23	आन्द्रवाडी	ऊखीमठ
24	सेमकुराला	ऊखीमठ
25	जामू	ऊखीमठ
26	सेरसी	ऊखीमठ
27	धानी	ऊखीमठ
28	खाट	ऊखीमठ
29	रविग्राम	ऊखीमठ
30	रैल	ऊखीमठ
31	धरवाल गॉव	ऊखीमठ
32	तोसी	ऊखीमठ
33	तरसाली	ऊखीमठ
34	गैर	ऊखीमठ
35	लोलछडा	ऊखीमठ
36	कुणजेठी	ऊखीमठ
37	ब्यूखी	ऊखीमठ
38	कविल्ठा	ऊखीमठ
39	कोटमा	ऊखीमठ
40	खुन्नू	ऊखीमठ
41	जालमल्ला	ऊखीमठ
42	जालतल्ला	ऊखीमठ
43	चौमासी	ऊखीमठ
44	चिलौण्ड	ऊखीमठ
45	स्यॉसू	ऊखीमठ
46	जग्गीबगवान	ऊखीमठ
47	बेडुला	ऊखीमठ
48	गौरीगॉव	ऊखीमठ
49	जोशी गॉव	ऊखीमठ
50	जाखधार	ऊखीमठ
51	बणजागरी	ऊखीमठ
52	फलॉण	ऊखीमठ
53	पौला	ऊखीमठ
54	सुबदनी	ऊखीमठ
55	घघली	ऊखीमठ
56	खोली	ऊखीमठ
57	तालजामण	ऊखीमठ
58	टाट लगा फेगू	ऊखीमठ
59	बरम्वाडी	ऊखीमठ
60	डमार	ऊखीमठ
61	टेमरिया वल्ला	ऊखीमठ
62	टेमरिया पल्ला	ऊखीमठ
63	हिमोला	ऊखीमठ

1	2	3
64	फेंगू	ऊखीमठ
65	नागजगई	ऊखीमठ
66	पौडाकुण्डलिया	ऊखीमठ
67	उच्छोला	जखोली
68	भुनालगॉव	जखोली
69	मथ्यागॉव	जखोली
70	खोड	जखोली
71	कमतू	जखोली
72	छेनागाड	ऊखीमठ

अधिसूचना

15 दिसम्बर, 2014 ई0

संख्या 789/XX(8)2014-11(37)2006 TC (I)—श्री राज्यपाल महोदय, साधारण खण्ड अधिनियम, 1896 (अधिनियम संख्या 10, सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या 2, सन् 1974) की धारा 2 की उपधारा (ध) में प्रदत्त उपबन्धों एवं इस सम्बन्ध में प्रदत्त समस्त समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनपद रूद्रप्रयाग की रिपोर्टिंग पुलिस चौकी, अगस्त्यमुनि को उच्चीकृत करते हुए पुलिस थाना, अगस्त्यमुनि के रूप में गठित किये जाने एवं तद्नुसार अधिसूचित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

उक्त के फलस्वरूप परिशिष्ट–1 में उल्लिखित थाना, रूद्रप्रयाग एवं परिशिष्ट–2 में उल्लिखित राजस्व पुलिस क्षेत्र, के ग्राम/मोहल्ला, पुलिस थाना अगस्त्यमुनि, जनपद रूद्रप्रयाग के प्रादेशिक क्षेत्र में सम्मिलित होंगे तथा क्रमशः थाना रूद्रप्रयाग एवं सम्बन्धित राजस्व पुलिस क्षेत्र के अधिकारिता क्षेत्र से निकाल दिये जायेंगे।

परिशिष्ट–1

(अधिसूचना संख्या 789/XX(8)2014-11(37)2006 TC (I)

क्रम संख्या	ग्राम/मोहल्ला का नाम	तहसील
01	अगस्तमुनि	रूद्रप्रयाग
02	विजयनगर	रूद्रप्रयाग
03	जवाहरनगर	रूद्रप्रयाग
04	बेडूबगड	रूद्रप्रयाग
05	सौडी	रूद्रप्रयाग
06	गबनीगांव	ऊखीमठ
07	चन्द्रापुरी	ऊखीमठ
08	सिल्ली	रूद्रप्रयाग
09	गंगतल	रूद्रप्रयाग
10	रामपुर	रूद्रप्रयाग
11	तिलवाडा	रूद्रप्रयाग
12	भटवाडीसैण	रूद्रप्रयाग
13	संगम	रूद्रप्रयाग
14	पन्द्रोला	रूद्रप्रयाग
15	कुमडी	रूद्रप्रयाग
16	फलाटी	रूद्रप्रयाग
17	चाका	रूद्रप्रयाग
18	मुस्साडुंग	जखोली

परिशिष्ट– 2

(अधिसूचना संख्या 789 / XX(8)2014-11(37)2006 TC (I)

क्रम संख्या	ग्राम / मोहल्ला का नाम	तहसील
01	भटवाडी सुनार	ऊखीमठ
02	मटखाणी	ऊखीमठ
03	दूबाणखू	ऊखीमठ
04	गबनीचक बचवाण	ऊखीमठ
05	गबनी गांव	ऊखीमठ
06	बुटोलगांव	ऊखीमठ
07	रैंगू	ऊखीमठ
08	जैखण्डा	ऊखीमठ
09	दोला	ऊखीमठ
10	कन्यास	ऊखीमठ
11	गुडाक्यार्क	ऊखीमठ
12	फलई	ऊखीमठ
13	बेडूबगड	रूद्रप्रयाग
14	चमराडा	ऊखीमठ
15	सिल्ला बामणगांव	ऊखीमठ
16	नैली	ऊखीमठ
17	महडघट	ऊखीमठ
18	गदनू	ऊखीमठ
19	सिनघाटा	ऊखीमठ
20	कोटी	ऊखीमठ
21	कुण्ड	ऊखीमठ
22	डांगी	ऊखीमठ
23	हाट	ऊखीमठ
24	अजयपुर	ऊखीमठ
25	आसोंडेडिया	ऊखीमठ
26	ओंगालगा कमसाल	ऊखीमठ
27	ककोला	ऊखीमठ
28	कमसाल	ऊखीमठ
29	कुलजेठी	ऊखीमठ
30	गुगली	ऊखीमठ
31	गिंवाला	रूद्रप्रयाग
32	जगोठ	ऊखीमठ
33	जयकण्डी	ऊखीमठ
34	जहंगी	ऊखीमठ
35	तलसारी	ऊखीमठ
36	तोन्दला	ऊखीमठ
37	तोल्यूं	ऊखीमठ
38	धार	ऊखीमठ
39	पिल्लू	ऊखीमठ
40	बाजगडू	ऊखीमठ
41	मेहरगांव	ऊखीमठ
42	षीषी	ऊखीमठ

1	2	3
43	सेलातो	ऊखीमठ
44	भैंसगांव	रूद्रप्रयाग
45	छतोली	रूद्रप्रयाग
46	मैठाणा	ऊखीमठ
47	गीड(भुटेर)	ऊखीमठ
48	रामपुर	ऊखीमठ
49	गुनाउ	ऊखीमठ
50	बैंजी	ऊखीमठ
51	भटटगांव	ऊखीमठ
52	नाकोट	ऊखीमठ
53	बनियाडी	ऊखीमठ
54	पौंफलीगांव	ऊखीमठ
55	अमोठा	ऊखीमठ
56	चमेली	ऊखीमठ
57	गंगतल	ऊखीमठ
58	सौडी	ऊखीमठ
59	रायडी	जखोली
60	सेम	जखोली
61	द्यणत गांव	जखोली
62	मरोडा	जखोली
63	जखन्याल गांव	जखोली
64	स्यालडोभा	जखोली
65	डोभल्या	जखोली
66	भौंसाल	रूद्रप्रयाग
67	रूमसी	रूद्रप्रयाग
68	मणगू	ऊखीमठ
69	मालखी	ऊखीमठ
70	तौल्यू	रूद्रप्रयाग
71	सिलकोट	रूद्रप्रयाग
72	सुनई	रूद्रप्रयाग
73	टाट	जखोली
74	चाकापाटियूं	जखोली
75	तिमली	जखोली
76	मुन्नादेवल	जखोली
77	डंगवाल गांव	जखोली
78	धरियॉज	जखोली
79	पठालीधार	ऊखीमठ
80	बेडासारी	ऊखीमठ
81	जावर	ऊखीमठ
82	झटगढ	ऊखीमठ
83	बढमा	जखोली

1	2	3
84	चौण्ड	जखोली
85	बडेथ गडिला	जखोली
86	घिघराण	ऊखीमठ
87	भटवाडी	ऊखीमठ
88	जाबरी	ऊखीमठ
89	मुण्डासू	ऊखीमठ
90	कान्दी	ऊखीमठ
91	कर्णसिली	ऊखीमठ
92	सेनागडसारी	ऊखीमठ
93	क्यूँजा	ऊखीमठ
94	कण्डारा	ऊखीमठ
95	गैर	ऊखीमठ
96	बलसुण्डी	ऊखीमठ
97	कालई	ऊखीमठ
98	कोन्था	ऊखीमठ
99	मोली	ऊखीमठ
100	अखोडी	ऊखीमठ
101	मचकण्डी	ऊखीमठ
102	केडामल्ला	ऊखीमठ
103	केडातल्ला	ऊखीमठ
104	बाडवमल्ला	ऊखीमठ
105	बाडव बिचला	ऊखीमठ
106	बाडव तल्ला	ऊखीमठ
107	सेनाचक गडसारी	ऊखीमठ
108	तेवडीसेम	ऊखीमठ
109	भणजग्वाड	ऊखीमठ
110	किणजाणी	ऊखीमठ
111	डुंगरी	ऊखीमठ
112	स्यूँर	जखोली
113	दानकोट	जखोली
114	अरखुण्ड	जखोली
115	कुडीअदुली	जखोली
116	किमाना	जखोली
117	पाट्यू	जखोली
118	किरोडा तल्ला	जखोली
119	डोभा	जखोली
120	उत्तर्सू	जखोली
121	पाली	जखोली
122	वीरोंदेवल	ऊखीमठ
123	क्याकं बरसूडी	ऊखीमठ

1	2	3
124	कौशलपुर	ऊखीमठ
125	डालसींगी	ऊखीमठ
126	रयाँसू	ऊखीमठ
127	नगरसाल	ऊखीमठ
128	घटबगड	ऊखीमठ
129	बसुकेदार	ऊखीमठ
130	खाटली	ऊखीमठ
131	सोगना	जखोली
132	सिद्धसौड	जखोली
133	डडोली	जखोली

अधिसूचना

15 दिसम्बर, 2014 ई0

संख्या 790/XX(8)2014-11(37)2006 TC (I)—श्री राज्यपाल महोदय, साधारण खण्ड अधिनियम, 1896 (अधिनियम संख्या 10, सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या 2, सन् 1974) की धारा 2 की उपधारा (ध) में प्रदत्त उपबन्धों एवं इस सम्बन्ध में प्रदत्त समस्त समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनपद उत्तरकाशी की रिपोर्टिंग पुलिस चौकी, हर्षिल, को उच्चीकृत करते हुए पुलिस थाना, हर्षिल के रूप में गठित किये जाने एवं तद्नुसार अधिसूचित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

उक्त के फलस्वरूप परिशिष्ट–1 में उल्लिखित थाना, मनेरी एवं परिशिष्ट–2 में उल्लिखित राजस्व पुलिस क्षेत्र, के ग्राम/मोहल्ला, पुलिस थाना हर्षिल, जनपद उत्तरकाशी के प्रादेशिक क्षेत्र में सम्मिलित होंगे तथा क्रमशः थाना मनेरी एवं सम्बन्धित राजस्व पुलिस क्षेत्र के अधिकारिता क्षेत्र से निकाल दिये जायेंगे।

परिशिष्ट–1

(अधिसूचना संख्या 790/XX(8)2014-11(37)2006 TC (I)

क्रम संख्या	ग्राम/मोहल्ला का नाम	तहसील
01	हर्षिल	भटवाड़ी
02	बगोरी	भटवाड़ी
03	धरालीी	भटवाड़ी
04	मुखबा	भटवाड़ी
05	भैरौंघाटी/लंका	भटवाड़ी
06	गंगोत्री	भटवाड़ी
07	झाला	भटवाड़ी
08	सुख्खी	भटवाड़ी
09	भोजवासा	भटवाड़ी
10	गौमुख	भटवाड़ी

परिशिष्ट–2

(अधिसूचना संख्या 790/XX(8)2014-11(37)2006 TC (I)

क्रम संख्या	ग्राम/मोहल्ला का नाम	तहसील
01	छोलमी(राजस्व क्षेत्र)	भटवाड़ी
02	जसपुर(राजस्व क्षेत्र)	भटवाड़ी
03	पुराली(राजस्व क्षेत्र)	भटवाड़ी

अधिसूचना

15 दिसम्बर, 2014 ई0

संख्या 791/XX(8)2014-11(37)2006 TC (I)—श्री राज्यपाल महोदय, साधारण खण्ड अधिनियम, 1896 (अधिनियम संख्या 10, सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या 2, सन् 1974) की धारा 2 की उपधारा (ध) में प्रदत्त उपबन्धों एवं इस सम्बन्ध में प्रदत्त समस्त समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनपद चमोली की रिपोर्टिंग पुलिस चौकी, गोविन्दघाट, को उच्चीकृत करते हुए पुलिस थाना, गोविन्दघाट के रूप में गठित किये जाने एवं तद्नुसार अधिसूचित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

उक्त के फलस्वरूप परिशिष्ट–1 में उल्लिखित थाना, जोशीमठ के ग्राम/मोहल्ला, पुलिस थाना गोविन्दघाट, जनपद चमोली के प्रादेशिक क्षेत्र में सम्मिलित होंगे तथा थाना जोशीमठ के अधिकारिता क्षेत्र से निकाल दिये जायेंगे।

परिशिष्ट–1

(अधिसूचना संख्या 791/XX(8)2014-11(37)2006 TC (I)

क्रम संख्या	ग्राम/मोहल्ला का नाम	तहसील
01	गोविन्द घाट	जोशीमठ
02	बलदौड़ा	जोशीमठ
03	पैंका	जोशीमठ
04	पिनोला घाट	जोशीमठ
05	भ्यूँडार	जोशीमठ
06	पुलना	जोशीमठ
07	पाण्डुकेश्वर	जोशीमठ
08	घाघरिया	जोशीमठ
09	विनायक चट्टी	जोशीमठ
10	पटड़ी	जोशीमठ

अधिसूचना

15 दिसम्बर, 2014 ई0

संख्या 792/XX(8)2014-11(37)2006 TC (I)—श्री राज्यपाल महोदय, साधारण खण्ड अधिनियम, 1896 (अधिनियम संख्या 10, सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या 2, सन् 1974) की धारा 2 की उपधारा (ध) में प्रदत्त उपबन्धों एवं इस सम्बन्ध में प्रदत्त समस्त समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनपद चमोली की रिपोर्टिंग पुलिस चौकी, गैरसैंण, को उच्चीकृत करते हुए पुलिस थाना, गैरसैंण के रूप में गठित किये जाने एवं तद्नुसार अधिसूचित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

उक्त के फलस्वरूप परिशिष्ट–1 में उल्लिखित थाना, कर्णप्रयाग, जनपद चमोली तथा परिशिष्ट–2 में उल्लिखित राजस्व पुलिस क्षेत्र के ग्राम/मोहल्ला, पुलिस थाना, गैरसैंण, जनपद चमोली के प्रादेशिक क्षेत्र में सम्मिलित होंगे तथा थाना कर्णप्रयाग एवं सम्बन्धित राजस्व पुलिस क्षेत्र के अधिकारिता क्षेत्र से निकाल दिये जायेंगे।

परिशिष्ट–1

(अधिसूचना संख्या 792/XX(8)2014-11(37)2006 TC (I)

क्रम संख्या	ग्राम/मोहल्ला का नाम	तहसील
01	गैरसैण	गैरसैण
02	फरसौ	गैरसैण
03	बिसराखेत	गैरसैण
04	सिलंगा	गैरसैण
05	उजेटिया	गैरसैण
06	रीठाडाली	गैरसैण
07	रंगचौड़ा पाण्डवाखाल	गैरसैण
08	सलियाणा	गैरसैण
09	ग्वाड़ तल्ला, मल्ला	गैरसैण
10	पटुडी लगा गैड	गैरसैण
11	गडोली	गैरसैण
12	सिलंगी	गैरसैण
13	सैंजी	गैरसैण
14	दाडिमडाली/रौसाड	गैरसैण
15	आगरचट्टी	गैरसैण
16	हाली सेराउर्फ आदिबद्री	गैरसैण
17	बौली लगा	गैरसैण
18	ताल	गैरसैण
19	खेती	गैरसैण
20	मेहलचौरी	गैरसैण
21	मरोडा/दिवालीखाल	गैरसैण

परिशिष्ट–2

(अधिसूचना संख्या 792/XX(8)2014-11(37)2006 TC (I)

क्रम संख्या	ग्राम/मोहल्ला का नाम	तहसील
01	खाल कुमरखेडी	गैरसैण
02	जुलगढ़	गैरसैण
03	भण्डासेरा	गैरसैण
04	दुगडासेरा	गैरसैण
05	खडोली	गैरसैण
06	थापली	गैरसैण
07	मालसी	गैरसैण
08	कुनैलीलगा मरोड़ा	गैरसैंण
09	कुनैलीलगा सलियाणा	गैरसैण
10	जैतोली ग्वाड	गैरसैण

1	2	3
11	धारगैड	गैरसैण
12	सोनियाणा	गैरसैण
13	खत्रियाणा	गैरसैण
14	रिखोली	गैरसैण
15	खडून लगा गॉवली	गैरसैण
16	गॉवली	गैरसैण
17	कमान्द लगा गॉवली	गैरसैण
18	पंजसेरा	गैरसैण
19	मूसॉ	गैरसैण
20	रामडा तल्ला	गैरसैण
21	सिमाण मल्ला/तल्ला	गैरसैण
22	हरगढ (धारापानी)	गैरसैण
23	जिनगोड	गैरसैण
24	रोहिड़ा	गैरसैण
25	बीना नागचुलाखाल	गैरसैण
26	जोगेड़ा लगा हरगढ़	गैरसैण
27	बल्याणी	गैरसैण
28	गोगना मल्ला	गैरसैण
29	बुखराखेत	गैरसैण
30	ज्वालागिरी	गैरसैण
31	कल्याण तल्ला	गैरसैण
32	मोरपानी	गैरसैण
33	कलियाणा मल्ला	गैरसैण
34	निगलानी (हिरालानी)	गैरसैण
35	कोठा	गैरसैण
36	कुनीगाड मल्ला	गैरसैण
37	कुनीगाड बिचली	गैरसैण
38	कुनीगाड़ तल्ला	गैरसैण
39	भण्डारीखोड	गैरसैण
40	गोगना तल्ला	गैरसैण
41	गडोत	गैरसैण
42	पाताबंगी	गैरसैण
43	राइकोट	गैरसैण
44	नैल	गैरसैण
45	मालकोट	गैरसैण
46	लाटूगैर	गैरसैण
47	तौलियोचक लाटूगैर	गैरसैण
48	टेंटूडा	गैरसैण
49	धामदेव	गैरसैण
50	माईथान (कोट)	गैरसैण

1	2	3
51	कलचुण्डा	गैरसैण
52	सेरा	गैरसैण
53	कालीमाटी	गैरसैण
54	लाबगड़	गैरसैण
55	कुशरानी तल्ली	गैरसैण
56	कुशरानी बिचली	गैरसैण
57	दसमियाँगांव	गैरसैण
58	कालूबिष्टासेरा	गैरसैण
59	बच्छूवाबाण तल्ला	गैरसैण
60	बच्छूवाबाण मल्ला	गैरसैण
61	दिवाधार	गैरसैण
62	दिवागाड़	गैरसैण
63	सरिंगगांव	गैरसैण
64	जौलचौरा तल्ला	गैरसैण
65	जौलचौरा मल्ला	गैरसैण
66	कण्डारीखोड़	गैरसैण
67	देवपुरी	गैरसैण
68	उत्तरी झूमाखेत	गैरसैण
69	कोलियाणा	गैरसैण

अधिसूचना

15 दिसम्बर, 2014 ई0

संख्या 793/XX(8)2014-11(37)2006 TC (I)—श्री राज्यपाल महोदय, साधारण खण्ड अधिनियम, 1896 (अधिनियम संख्या 10, सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या 2, सन् 1974) की धारा 2 की उपधारा (घ) में प्रदत्त उपबन्धों एवं इस सम्बन्ध में प्रदत्त समस्त समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनपद हरिद्वार की रिपोर्टिंग पुलिस चौकी, कलियर शरीफ, को उच्चीकृत करते हुए पुलिस थाना, कलियर शरीफ के रूप में गठित किये जाने एवं तद्नुसार अधिसूचित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

उक्त के फलस्वरूप परिशिष्ट–1 में उल्लिखित थाना, कोतवाली रुड़की, भगवानपुर एवं बहादराबाद, जनपद हरिद्वार के ग्राम/मोहल्ला, पुलिस थाना, कलियर शरीफ, जनपद हरिद्वार के प्रादेशिक क्षेत्र में सम्मिलित होंगे तथा थाना, कोतवाली रुड़की, भगवानपुर एवं बहादराबाद के अधिकारिता क्षेत्र से निकाल दिये जायेंगे।

परिशिष्ट–1

(अधिसूचना संख्या 793/XX(8)2014-11(37)2006 TC (I)

क्रम संख्या	ग्राम/मोहल्ला का नाम	तहसील
01	बाजूहेड़ी	रूड़की
02	मेवडकला	रूड़की
03	रहमपुर	रूड़की

1	2	3
04	महमूदपुर	रूड़की
05	पिरान कलियर	रूड़की
06	मुकर्रबपुर	रूड़की
07	बेडपुर	रूड़की
08	मेवड खुर्द	रूड़की
09	नागल	रूड़की
10	मोहम्मदपुर पाण्डा	रूड़की
11	ईमलीखेड़ा	रूड़की
12	हकीमपुर तुर्रा	रूड़की
13	दरियापुर	रूड़की
14	गाड़ोवाली	रूड़की
15	हमीदपुर निवादा	रूड़की
16	हदीपुर	रूड़की
17	नागल पलूनी	रूड़की
18	रांगडवाला	रूड़की
19	गुमानीवाला	रूड़की
20	माजरी	रूड़की
21	कोटा पाकिस्तान	रूड़की
22	सोहलपुर	रूड़की
23	कोटा मुरादनगर	रूड़की
24	तेलीवाला	हरिद्वार
25	धनौरा	रूड़की
26	जस्सावाला	हरिद्वार
27	धनौरी	रूड़की
28	कोटा मच्छरहेडी	हरिद्वार

अधिसूचना

15 दिसम्बर, 2014 ई0

संख्या 794/XX(8)2014-11(37)2006 TC (I)—श्री राज्यपाल महोदय, साधारण खण्ड अधिनियम, 1896 (अधिनियम संख्या 10, सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या 2, सन् 1974) की धारा 2 की उपधारा (ध) में प्रदत्त उपबन्धों एवं इस सम्बन्ध में प्रदत्त समस्त समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनपद देहरादून की रिपोर्टिंग पुलिस चौकी, प्रेम नगर, को उच्चीकृत करते हुए पुलिस थाना, प्रेम नगर के रूप में गठित किये जाने एवं तद्नुसार अधिसूचित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

उक्त के फलस्वरूप परिशिष्ट–1 में उल्लिखित थाना, बसंत विहार एवं थाना सहसपुर, जनपद देहरादून के ग्राम/मोहल्ला, पुलिस थाना, प्रेम नगर, जनपद देहरादून के प्रादेशिक क्षेत्र में सम्मिलित होंगे तथा थाना, बसंत विहार एवं थाना सहसपुर के अधिकारिता क्षेत्र से निकाल दिये जायेंगे।

परिशिष्ट–1

(अधिसूचना संख्या 794 / XX(8)2014-11(37)2006 TC (I)

क्रम संख्या	ग्राम / मोहल्ला का नाम	तहसील
01	विधौली	विकासनगर
02	कण्डोंली	विकासनगर
03	विशनपुर	विकासनगर
04	पौंधा	विकासनगर
05	हरियावाला	विकासनगर
06	हुल्लू	विकासनगर
07	धौलास	विकासनगर
08	आमवाला	विकासनगर
09	फुलसनी	विकासनगर
10	कोटरा सन्तौर	विकासनगर
11	कोल्हूपानी (अपर)	विकासनगर
12	कोल्हूपानी (लोअर)	विकासनगर
13	नन्दा की चौकी	विकासनगर
14	झाझरा	विकासनगर
15	कांसवाली	विकासनगर
16	नौंगाव	विकासनगर
17	माण्डूवाला	विकासनगर
18	डूंगा	विकासनगर
19	हैडवाली	विकासनगर
20	सुद्धोवाला	विकासनगर
21	ठाकुरपुर	विकासनगर
22	लक्ष्मीपुर	विकासनगर
23	धूलकोट ग्राम सभा (सम्पूर्ण)	विकासनगर
24	स्मिथ नगर	सदर
25	न्यू मिटठी बेड़ी	सदर
26	मोहनपुर	सदर
27	केहरी गांव	सदर
28	मिटठी बेड़ी	सदर
29	श्यामपुर	सदर

आज्ञा से,

एम0 एच0 खान,
प्रमुख सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 04 हिन्दी गजट / 19–भाग 1–2015 (कम्प्यूटर / रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 24 जनवरी, 2015 ई0 (माघ 04, 1936 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

December 15, 2014

No. 279 UHC/XIV/33/Admin.A--Sri D.P. Gairola, Registrar General, High Court of Uttarakhand, Nainital is hereby sanctioned earned leave for 15 days *w.e.f.* 27-11-2014 to 12-12-2014 with permission to suffix 13-12-2014 & 14-12-2014 as 2nd Saturday & Sunday holidays.

By Order of Hon'ble the Acting Chief Justice,
Sd/-
Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

December 17, 2014

No. 280 UHC/XIV/52/Admin.A--Sri Rajendra Joshi, Judge, Family Court, Udham Singh Nagar, is hereby sanctioned earned leave for 10 days *w.e.f.* 26-11-2014 to 05-12-2014.

NOTIFICATION

December 18, 2014

No. 281 UHC/XIV/07/Admin.A/2009--Sri Rahul Kumar Srivastava, Civil Judge (Jr. Div.), Nainital is hereby sanctioned earned leave for 12 days *w.e.f.* 01-12-2014 to 12-12-2014. with permission to prefix 30-11-2014 as Sunday holiday and to suffix 13-12-2014 & 14-12-2014 as 2nd Saturday & Sunday holidays.

NOTIFICATION

December 24, 2014

No. 282 UHC/XIV/62/Admin.A/2004--Sri Amit Kumar Sirohi, 3rd Addl. District & Sessions Judge, Dehradun, is hereby sanctioned earned leave for 13 days *w.e.f.* 05-12-2014 to 17-12-2014.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,
Sd/-
Registrar (Inspection).

CHARGE CERTIFICATE

(on earned leave taking over)

December 15, 2014

No. 6194/Admn.(A)-UHC/2014--CERTIFIED that the Office of the Registrar General, High Court of Uttarakhand, Nainital, was transferred *vide* High Court of Uttarakhand order dated 24th November 2014, as herein denoted in the forenoon of 15th December 2014.

D.P. GAIROLA,
Relieving Officer.

Relieved Officer,

Countersigned,

NARENDRA DUTT,
Registrar (Inspection),
High Court of Uttarakhand, Nainital.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 04 हिन्दी गजट/19–भाग 1–क–2015 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 24 जनवरी, 2015 ई0 (माघ 04, 1936 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम

16 जुलाई, 2014 ई0

पत्रांक 1646–उत्तराखण्ड नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा–8 क क (1) के अन्तर्गत कार्यकारणी समिति के अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर निगम हल्द्वानी, काठगोदाम कर्मचारी सेवा निवृत्ति सुविधा तथा भविष्य निधि विनियम, 2014 मेरे द्वारा अधिनियम की धारा 548(1) (एफ) तथा (जी) के प्राविधानों के अन्तर्गत बनाये गये हैं, को सभी नगर निगम के कर्मचारियों के अवलोकनार्थ एवं आपत्ति एवं सुझावों हेतु प्रकाशित किया जा रहा है। सम्बन्धित सभी पक्ष जिनको इस पर कोई आपत्ति या सुझाव देना हो, प्रकाशन की तिथि के 30 दिवस के अन्दर अपनी आपत्ति सुझाव को प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त समयोपरान्त प्राप्त आपत्ति एवं सुझावों पर विचार नहीं किया जायेगा।

नगर निगम हल्द्वानी काठगोदाम में कर्मचारी सेवा निवृत्ति सुविधा तथा भविष्य निधि विनियम 2014

उ0 प्र0/ उत्तराखण्ड नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 548(1)(एफ) और (जी) के अर्न्तगत

1– यह विनियम नगर निगम हल्द्वानी काठगोदाम कर्मचारी सेवा निवृत्ति सुविधा तथा भविष्य निधि विनियम 2014 होगा।

2– यह विनियम नगर निगम घोषित होने की तिथि से प्रभावी समझें जायेगें। और उन कर्मचारियों पर लागू होगें जिनकी नियुक्ति नगर पालिका परिषद/ नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम में अकेन्द्रीयत सेवा के पद पर हुई है।

2–परिभाषाऐं:–

जब तक विषय व संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो इन विनियमों में

1– "अधिनियम" अथवा "एक्ट" से तात्पर्य, उत्तराखण्ड नगर निगम "अधिनियम" 1959 से है।

2– "औसत परिलब्धियों" से तात्पर्य है, सेवानिवृत्ति के दिनांक से पूर्व 10 मास में प्राप्त परिलब्धियों का औसत धन । यदि इन 10 मासों में छुटटी का समय भी सम्मिलित हो तो उस समय के लिए अगर व छुटटी पर न रहा होता तो स्थाई नियुक्ति के लिए जो परिलब्धियॉ प्राप्त (एडमिसिविल) होती, वे परिलब्धियॉ समझी जायेगी।

प्रतिबन्ध यह है कि अधिनियम की धारा 577(ङ) में वर्णित किसी अधिकारी के विषय में यदि यह नियत दिन के पूर्व स्थाई हो चुका हो तो औसत उपलब्धियॉ निकालने के नियत दिन के पहले तथा नियत दिन और उसके पश्चात नगर निगम के अर्न्तगत की गयी सारी सेवा के समय स्थाई नियुक्ति का समय तथा इस समय में मिला वेतन स्थाई वेतन माना जायेगा।

(3) परिलब्धियॉ। (एमालूमेन्टस) से तात्पर्य–

(क) पेंशन एवं अन्य सेवा निवृत्तिक लाभो (सेवा निवृत्तिक/डेथ ग्रेच्युटी को छोडकर) की गणना हेतु परिलब्धियों से तात्पर्य उस वेतन से हैं जैसा कि वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड –2 के भाग –2 से 4 के मूल नियम –9(21)(1) में परिभाषित है। और जिसे कर्मचारी अपनी सेवा निवृत्ति की तिथि के ठीक पूर्व अथवा मृत्यु के तिथि को प्राप्त कर रहा था।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई अधिकारी के सेवा निवृत्ति अथवा मृत्यु जैसी भी दशा हो के समय छुटटी पर हो तो वह परिलब्धियॉ। (एमालूमेन्टस) जो उसे प्राप्त होती है,यदि वह उस समय अवकाश पर न होता परिलब्धियॉ समझी जायेगी।

(ख) मूल वेतन का आशय वेतन समिति उत्तराखण्ड 2008 के प्रथम प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों के अनुक्रम में नगर निगम कर्मचारियों के दिनांक 1.1.2006 से पुनरीक्षित किये गये वेतनमान विषयक शासनादेश संख्या 1190/iv(1)/ 2009 /01(72)/2008 दिनांक 16 अक्टूबर 2009 के अनुसार निर्धारित वेतन बैण्ड में अनुमन्य वेतन तथा लागू ग्रेड वेतन का योग होगा जिसमें विशेष वेतन वैयक्तिक वेतन एवं अनुमन्य अन्य प्रकार का वेतन सम्मिलित नही होगा।

(ग) वेतन–वेतन का आशय अधिकारी/ कर्मचारी द्वारा प्राप्त उस वेतन से है जो उन्हें सेवा निवृत्ति तिथि/ मृत्यु तिथि से एकदम पूर्व मूल वेतन+महगॉई भत्ता के योग के रूप में प्राप्त हो रहा था।

(4) परिवार में किसी अधिकारी/ कर्मचारी के नीचे लिखे सम्बन्धी सम्मिलित होगें–

(क) धर्म पत्नी, पुरूष अधिकारी के संबंध में

(ख) पति, स्त्री अधिकारी के संबंध में (इसमें सौतेले बच्चे और गोद लिये बच्ची भी सम्मिलित होगे।

(ग) पुत्र

(घ) अविवाहित अथवा विधवा पुत्रियॉ

(ड) भ्राता –18 वर्ष से कम आयु का तथा अविवाहित और विधवा, बहिनें (जिनमें विभातृ, भ्राता तथा विभातृ बहने सम्मिलित होगी)

(च) पिता

(छ) माता

(ज) विवाहित पुत्रियॉ जिसमें सौतेली लडकियॉ भी सम्मिलित होगीं।

(झ) पूर्व मृत पुत्र के बच्चे

(5) अधिकारी एवं कर्मचारी से तात्पर्य है हल्द्वानी काठगोदाम नगर निगम में किसी ऐसे अधिकारी/ कर्मचारी से है जो नगर निगम के अर्न्तगत किसी स्थाई सेवा निवृत्ति वेतनीय (पेंशनेबुल) पद पर नियुक्त हो तथा वह पद उस श्रेणी में आता हो, जिसको यह विनियम लागू हो अथवा उसको ऐसे पद पर धारणाधिकार हो या उसके ऐसे पद पर नियुक्त रहने का धारणाधिकारी हो (वूड होल्ड लियन) यदि उसका वह अधिकारी निलम्बित न कर दिया गया हो **(हैड हिज लियन नाट बीन सस्पेन्डेड)**

(6) निवृत्ति वेतनीय पद पेशनेबुल पोस्ट से तात्पर्य ऐसे पदो से है। जिसके संबंध में निम्नलिखित तीन बाते पूरी होती है।

(1)पद नगर निगम सेवा नियमावली के अर्न्तगत नगर निगम हल्द्वानी काठगोदाम के किसी संवर्ग में हो।
(2) नियोजन मौलिक और स्थाई हो और (3) सेवा कार्य के लिए भुगतान नगर निगम हल्द्वानी काठगोदाम से किया जाता रहा हो।
(7) अर्हकारी सेवा का तात्पर्य ऐसी सेवा से है कि जो सिविल सर्विस रेगूलेशन के अनुसार सेवानिवृत्ति वेतन प्राप्त करने के योग्य बनाती हो।
(8) सेवा निवृत्ति से तात्पर्य है किसी अधिकारी/ कर्मचारी का नगर निगम सेवा अवधि पूर्ण करने पर, असमर्थ **(इन वैलिड)** होने पर बाध्य किये जाने पर 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर, अथवा सेवा संबंधी किसी नियम के अनुसार स्वेच्छा से निवृत्ति ग्रहण करने अथवा स्थाई नियुक्ति वाले पद के टूटने पर उसकी नियुक्ति दूसरे स्थाई पद पर न हो सकने की दशा में सेवा निवृत्ति होने से प्रतिबन्ध यह है कि अधिकारी/कर्मचारी द्वारा 20 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली गयी हो।

3– अधिकारी/ कर्मचारी जिन्हें विनियम प्रभावी है,यह विनियम लागू हो:–

(1) उन सभी अधिकारियों/ कर्मचारियों पर जिनकी नियुक्ति इन विनियमों के प्रभावी होने के बाद नगर निगम द्वारा अधिनियम की धारा 106 के अर्न्तगत स्थाई रूप से सृजित किये गये पदो पर स्थाई रूप से हो।
(2) (क) उन सभी कर्मचारियों/अधिकारियों पर लागू होगें, जो नगर निगम बनने के दिनांक 21.7.2011 को अधिनियम की धारा 577 (ड) के अनुसार स्थाई रूप से नियोजित पद पर निगम के कर्मचारी/ अधिकारी हो गये है। प्रतिबन्ध यह है, कि म्युनिसिपल बोर्ड द्वारा जमा किया गया भविष्य निधि अंशदान जिसमें बोनस तथा उससे अर्जित किया गया ब्याज सम्मिलित हो, नगर निगम द्वारा खोले गये निवृत्ति वेतन निधि में जमा कर दिया जायेगा और म्युनिसिपल बोर्ड के अधीन की गयी सेवायें इस कार्य के लिए निगम के अर्न्तगत की गयी सेवाए समझी जायेगी। यदि इन विनियमों को अंगीकार करने वाला कोई कर्मचारी/ अधिकारी प्रोविडेन्ट फण्ड मे जमा किया गया धन वापस ले चुका हो तो उसे देय अशंदान नगर निगम द्वारा खोले गये निवृत्ति निधि में जमा करना होगा।

(ख) अकेन्द्रीयत सेवा के जो अधिकारी/ कर्मचारी इन विनियमों के लागू होने के बाद केन्द्रीय सेवा में जाते है वह भी केन्दीयत सेवा में जाने के 90 दिन के अन्दर विकल्प द्वारा इन विनियमों को बनाये रख सकते है। किन्तु शर्त यह है कि यह विकल्प अन्तिम होगा और केन्द्रीयत सेवा में तैनाती की नगर पालिका परिषद/नगर निगम में उन्हें अपने मूल वेतन व समय समय पर लागू महगाई भत्ते पर 12 प्रतिशत की दर से या जो भी दर भविष्य में संशोधित हो की दर से पेंशन अंशदान प्रत्येक माह नगर निगम हल्द्वानी काठगोदाम को भेजना होगा।

प्रतिबन्ध है कि इस खण्ड के अर्न्तगत किये गये विकल्प (आप्सन) मान्य होगें जो इन विनियमों के प्रभावी होने के दिनांक के बाद इस हेतु अन्तिम रूप से निर्धारित दिनांक तक चाहे सेवा में रहते हुए या सेवा से निवृत होने के बाद किये गये हो यदि कोई अधिकारी/ कर्मचारी व उसका आश्रित इन विनियमों के प्रभावी होने मे किसी विलम्ब होने के कारण विकल्प (आप्सन) करने के बाद अपना भविष्य निधि नगर निगम अशंदान सहित वापस ले चुका हो तो वह अधिकारी अथवा उसका अश्रित भी उन विनियमों के अर्न्तगत देय सुविधा प्राप्त कर सकेगा। यदि वह उठाये नगर निगम के अशंदान को प्राविडेन्ट फण्ड से वापस लेने के दिनांक से पुनः जमा करने के दिनांक तक डाकखाने में बचत खातो में समय समय पर निर्धारित ब्याज सहित एक बार में निर्धारित तिथि तक जमा कर दें, किन्तु यदि किन्ही परिस्थितियों में नगर निगम अशंदान का कोई धारा निर्धारित तिथि तक जमा करने से रह जाते है, तो वह बाद में मुख्य नगर अधिकारी की स्वीकृति से जमा किया जा सकता है।

स्पष्टीकरण :–

(1) इन विनियमों को अंगीकार करने वाले अधिकारी के भविष्य निधि के खाते में जमा धन उसके उपर बकाया अग्रिम तथा उसके बीमा की किश्तों में दिये गये रूपये तथा उस पर जोडे गये ब्याज को मिलाकर होने वाले धनांक का एक तिहाई भाग नगर निगम /म्युनिसिपल बोर्ड तथा अन्य स्थानीय निकाय या सरकार केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार का अनुदान समझा जायेगा यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी को इस वितरण में कोई आपत्ति हो तो यह इन विनियमों को अंगीकार करने वाले प्रार्थना पत्र के साथ अपनी आपत्ति मुख्य नगर अधिकरी को भेजा जा सकता है। जो अन्तिम रूप से नगर निगम का अशंदान निश्चित और निर्धारित करेगे।

(2) यदि किसी अधिकारी/ कर्मचारी के न्युनतम अंशदान (सब क्रिप्सन) से अधिक अंशदान किसी भविष्य निधि में जमा किया हो तो इस प्रकार के अधिक अशंदान का धन उसके सामान्य भविष्य निधि में जमा किया जायेगा तथा शेष धनराशि का 1/3 भाग नगर निगम का अनुदान होगा।

भाग–1

(डैथ– कम रिटायरमेन्ट ग्रेच्युटी)

(मृत्यु सम्मिलित सेवा निवृत्ति उपादान)

(1) जिन अधिकारियों/ कर्मचारियों पर यह विनियम लागू होगें,उनकी सेवा निवृत्ति पर उपादान "ग्रेच्युटी" दिया जायेगा जो उनकी परिलब्धियों के 16½ गुने से अधिक न होकर वह धन होगा जो उनके द्वारा की गयी सेवा के प्रत्येक छमाही अवधि के अन्तिम आहरित उपलब्धियों के ¼के बराबर होगी।

2– यदि कोई अधिकारी/ कर्मचारी सेवा निवृत्ति के बाद पेंशन केस निस्तारित होने के पूर्व मृत हो जाये जो उसे देय उपादान की धनराशि उनके द्वारा मनोनीत किये हुए व्यक्ति या व्यक्तियों को किया जायेगा। यदि कोई व्यक्ति मनोनीत न किया गया हो तो इसी विनियम के उप विनियम –2 में दी गयी परिभाषा के अनुसार परिवार के सभी सदस्यों को बराबर –2 देय होगा।

(3) उप नियम (1) और (2) के अर्न्तगत मिलने वाला उपदान 10,00000(दस लाख मात्र) से अधिक नही होगा तथा शासन द्वारा राज्य कर्मचारियों के लिए समय समय पर निर्धारित सीमा तक ही उपदान देय होगा।

प्रतिबन्ध यह है कि –

4–सेवा निवृत्ति /डैथ कम ग्रेच्युटी को गणना हेतु सेवा निवृत्ति / मृत्यु की तिथि को अनुमन्य महगाई भत्ते को सम्मिलित किया जायेगा।

(क) उप विनियम (1) से (4) तक वर्णित निवृत्ति उपदान केवल उन्ही अधिकारियों/ कर्मचारियों को अनुमन्य होगा जिन्होने पॉच वर्ष की अर्हकारी सेवा पूरी कर ली हो उदाहरणार्थ यदि मूल नियम 9(21)(1) वित्त हस्त पुस्तिका खण्ड द्वितीय भाग–2 से 4 में परिभाषित वेतन रू0 16050/– और पेशंन अर्ह सेवा 30 वर्ष 6 माह है। तो सेवा निवृत्ति उपादान (ग्रेच्युटी) 16050 x 61/4 =2,44,762 रूपया होगी।

(ख)मृत्यु ग्रेच्युटी मृत्यु उपादान (ग्रेच्युटी) दरे निम्न प्रकार है।

सेवा अवधि के अनुसार –

1– एक वर्ष से कम – परिलब्धियों का दो गुना

2– एक वर्ष अथवा उससे अधिक किन्तु 5 वर्ष से कम –परिलब्धियों का छः गुना

3–5 वर्ष से अधिक किन्तु 20 वर्ष से कम परिलब्धियों का 12 गुना

4–20 वर्ष या उससे अधिक अर्हकारी सेवा की प्रत्येक पूर्ण छमाही के लिए परिलब्धियों से 1/2 के बराबर होगी जिसकी अधिकतम सीमा अन्तिम आहरित अर्द्व परिलब्धियों के 33 गुने के बराबर अथवा रूपये दस लाख जो भी कम हो से अधिक नही होगी।

टिप्पणी– यह दरें राज्य सरकारी द्वारा समय समय पर राज्य कर्मचारियों के लिए संशोधित दरो पर परिवर्तनीय होगी।

नामाकंन (नोमिनेशन)

5–(1) प्रत्येक नगर निगम कर्मचारी जिसे यह विनियम लागू हो ज्यो ही वह किसी स्थाई सेवा निवृत्ति वेतनीय पद पर धारणाधिकार (लियन) प्राप्त करे उसे एक अथवा अधिक व्यक्तियों को उपादान (ग्रेच्युटी) जिससे विनियम –4 के उप विनियमों के अनुसार प्राप्त करने के लिए नामाकिंत करेगा। प्रतिबन्ध यह है कि नामाकंन करते समय अधिकारी का परिवार हो तो नामाकन परिवार के किसी एक सदस्य अथवा अधिक सदस्यों का कर सकता है। लेकिन प्रतिबन्ध यह है कि परिवार के सदस्यों के होते हुए परिवार के अतिरिक्त किसी व्यक्ति को नही कर सकता है।

(2) यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी नामाकंन में कोई परिवर्तन करना चाहता है,तो वह परिवर्तन उस अधिकरी/ कर्मचारी द्वारा अपने सेवा काल में ही किया जा सकता है। किन्तु यदि आवश्यक हो तो सेवा निवृत्ति के बाद भी मुख्य नगर अधिकारी की पूर्व स्वीकृति से उसे नामाकंन पत्र में अपने पहले किये हुए नामाकंन में परिवर्तन अथवा नया नामाकंन प्रस्तुत करके किया जा सकता है।

(3) प्रत्येक अधिकारी/ कर्मचारी को नामाकंन पत्र में निम्नाकित व्यवस्था करनी होगी–

(क) कि किसी निर्दिष्ट नामांकित व्यक्तियों का अधिकारी/ कर्मचारी की मृत्यु से पूर्व मृत्यु हो जाने की दशा में उस नामाकित व्यक्ति का अधिकार नामाकंन पत्र में दिये हुए किसी निर्दिष्ट व्यक्ति को ही की जावे किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि नामाकंन करते समय अधिकारी के परिवार में एक से अधिक सदस्य हो तो इस प्रकार निर्दिष्ट किया हुआ व्यक्ति उसके परिवार के किसी सदस्य के अतिरिक्त न हो।

(ख) कि उपर कही हुई परिस्थिति के उत्पन्न होने पर नामाकंन निरर्थक हो जायेगा।

(4) किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा उस समय का किया हुआ नामाकंन जैसे परिवार नही था अथवा नामाकंन में उप नियम (3) के खण्ड (क) के अर्न्तगत की हुई व्यवस्था अब उसके परिवार में केवल एक ही व्यक्ति था, जैसी भी दशा हो, उस समय निरर्थक हो जायेगी, जब उसके परिवार हो जाये अथवा परिवार में कोई अतिरिक्त सदस्य हो जाये।

5(क) प्रत्येक नामाकंन (क) से (घ) तक के किसी प्रपत्र में जो भी व्यक्ति विशेष की स्थिति में उचित हो किया जायेगा।

(ख) कोई अधिकारी /कर्मचारी किसी समय अपने नामाकंन को मुख्य नगर अधिकारी अथवा उसके द्वारा मनोनीत किये गये अधिकारी को लिखित नोटिस भेजकर रदद कर सकता है किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वह अधिकारी/कर्मचारी उस नोटिस के बाद एक नया नामाकंन पत्र इन विनियमों के अनुसार नोटिस दिये जाने की तिथि से 15 दिन के अन्दर मुख्य नगर अधिकारी को प्रेषित कर दे।

(6) किसी नामांकित व्यक्ति जिसके अधिकार को उसकी मृत्यु के पश्चात दूसरे नामाकिंत व्यक्ति को पाने की व्यवस्था नामाकंन पत्र में उपनियम (3) के खण्ड (क) के अनर्तगत न की गयी हो, तो अथवा किसी ऐसी घटना हो जाने पर जिसके कारण उसका नामांकित उपनियम (3) के खण्ड (ख) अथवा उपनियम (4) के अर्न्तगत निरर्थक हो जाता हो तो संबंधित अधिकारी/ कर्मचारी मुख्य नगर अधिकारी को पूर्व नामाकंन को रदद करते हुए इन विनियमों के अनुसार नये नामाकंन पत्र के साथ लिखित नोटिस भेजेगे।

(7) प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी द्वारा इन विनियमों के अर्न्तगत भरे गये अपने नामांकन पत्र अथवा उसकों रदद करने का नोटिस संबंधित अधिकारी द्वारा मुख्य नगर अधिकारी अथवा उनके द्वारा मनोनीत किये गये अधिकारी को भेजा जाना चाहिए मुख्य नगर अधिकारी अथवा उसके द्वारा मनोनीत अधिकारी नामांकन पत्र प्राप्त करने पर तुरन्त प्राप्ति का दिनांक लिखकर प्रति हस्ताक्षरित करेगे। तथा अपनी अभिरक्षा में रखेगे।

(8)किसी अधिकारी/ कर्मचारी द्वारा किया गया पूर्व नामाकंन अथवा उसको रदद किये जाने का नोटिस जहॉ तक वह अखडनीय "वैलिड" हो मुख्य नगर अधिकरी अथवा उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी द्वारा प्राप्त किये गये दिनांक से प्रभावी होगा।

9– यदि कोई अधिकारी/ कर्मचारी जिसका परिवार हो अपने परिवार के एक अथवा अधिक सदस्यों का मृत्यु सम्मिलित सेवा निवृत्ति उपदान (डैथ कम रिटायरमेन्ट ग्रेच्युटी) पाने का नामाकंन पत्र द्वारा अधिकार दिये बिना मृत हो जाये तो उपदान ग्रेच्युटी विनियम (2) के उपनियम (4) में दी हुई श्रेणी के कम (क) से (घ) तक में दिये सभी लिखित सदस्यों को (विधवा पुत्रियों को छोड) समान भाग में वितरित कर दिया जायेगा, यदि इस प्रकार के जीवित सदस्य न हो और एक अथवा अधिक विधवा पुत्रिया हो अथवा अधिकारी/कर्मचारी के परिवार के उपरोक्त उपनियम 2 (4) श्रेणी के कम में (ड) से (झ) तक वर्णित का एक या उससे अधिक सदस्य हो तो उपादान (ग्रेच्युटी) का धन उन सभी व्यक्तियों में बराबर भागों में बॉट दिया जायेगा।

भाग– 2

पारिवारिक पेंशन

6– (क) पारिवारिक पेंशन – (1) पारिवारिक पेंशन की दरें निम्न प्रकार होगी–

मूल वेतन का 30 प्रतिशत किन्तु न्यूनतम रू0 3500 प्रतिमाह । यह दरें राज्य सरकार द्वारा समय –समय पर संशोधित दरों के अनुरूप परिर्वतनीय होगी।

2(क) पारिवारिक पेंशन के लिए परिवार की परिभाषा:–

1– पत्नी / पति

2– मृत्यु के दिन को 25 वर्ष की आयु से कम के पुत्र (सौतेले तथा सेवा निवृत्ति से पूर्व विधिवत गोद ली गयी सन्तान भी सम्मिलित है),को इस प्रतिबन्ध के साथ यदि वह जीविकोंपार्जन करने लगे तो जीविकों पार्जन की तिथि अथवा 25 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो।

3– मृत्यु के दिन को 25 वर्ष से कम आयु की अविवाहित पुत्रियॉ को इस प्रतिबन्ध के साथ कि यदि वह जीविकोंपार्जन करने लगे या उसका विवाह हो जाय अथवा 25 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो इसमें सौतेली तथा सेवानिवृत पूर्व विधिवत गोद ली गयी सन्तानें भी सम्मिलित होगीं।

(ख) पारिवारिक पेंशन निम्नलिखित दशाओं में अनुमन्य होगी:–

क– सर्वप्रथम विधवा / विधुर को आजीवन या पुर्नविवाह जो भी पहले हो तक मिलेगा।

ख– विधवा/ विधुर की मृत्यु पुर्नविवाह की दशा में ज्येष्ठतम नाबालिग पुत्र को 25 वर्ष की आयु तक मिलेगी।

टिप्पणी– जहॉ दो या दो से अधिक विधवाये तो पेंशन ज्येष्ठतम उत्तरजीवी विधवा को देय होगी। शब्द ज्येष्ठतम का तात्पर्य विवाह के दिनांक के वरिष्ठता से है।

ग–इस विनियम के अधीन दी गयी पेंशन एक ही समय में अधिकारी/ कर्मचारी के परिवार के एक से अधिक सदस्यों को देय नही होगी।

घ– विधवा / विधुर का पुनर्विवाह/ मृत्यु हो जाने पर पेशन उनके अवयस्क सन्तानो को उनके प्राकृत अभिभावक (नेचुरल गार्जियन) के माध्यम से दी जायेगी किन्तु विवादास्पद मामलो में भुगतान विधिक अभिभावक (लीगल गार्जियन) के माध्यम से दिया जायेगा।

ड– इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय – समय पर पेंशन नियमों में सेशोधन करने पर संबंधित नियम नगर निगम हल्द्वानी काठगोदाम कर्मचारी सेवा निवृत्ति सुविधा तथा भविष्य निधि विनियम 2014 पर भी स्वतः लागू होंगे।

भाग –3

सेवा– निवृत्ति पेंशन

(1) अधिवर्षता/सेवा निवृत्ति अशक्त या अन्य प्रकार से निवृत्ति वेतन या उपादान धनराशि उत्तराखण्ड के राज्य कर्मचारियों पर लागू प्रकिया और सूत्र के अनुसार संगणित समुचित धनराशि होगी और वह धनराशि पूरे रूपये में अभिव्यक्त की जायेगी, तथा जहॉ भी नियमानुसार गणना करने पर जारी निवृत्ति वेतन में रूपये से कम कोई धन हो तो वह अगले पूर्ण रूपये में बदल दी जायेगी।

(2) उत्तराखण्ड सरकार के सेवा निवृत्ति राज्य कर्मचारियों अर्थात पेंशनरों को महगाई या अन्य प्रकार की स्वीकृति की गयी धनराशि के अनुसार नगर निगम हल्द्वानी काठगोदाम में पेशनरों को देय होगी।

(3) कोई विशिष्ट अतिरिक्त पेंशन स्वीकृत नही की जायेगी।

(4) पद अक्षम और प्रतिकर पेंशन का वही अर्थ होगा जो सिविल सर्विस रेगुलेशन में उसे लिए दिया गया हो।

रिटायरमेन्ट बेनीफिट रूल्स तथा सिविल सर्विस रेगुलेशन का प्रयोग–

8–(1) इन विनियमों में दी गयी स्पष्ट व्यवस्था को छोडकर इन विनियमों के अर्न्तगत देय उपादान , निवृत्ति वेतन, जिसमें पारिवारिक सेवा निवृत्ति वेतन, भी सम्मिलित है– तथा सामान्य भविष्य निधि के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट वेनीफिट रूल्स 1961 तथा समय– समय पर उनके किये गये परिवर्तन तथा इस संबंध में जारी किये गये सरकारी आदेश लागू होगे। यदि किसी विषय में इन विनियमों में स्पष्ट व्यवस्था न हो तो उस संबंध में सिविल सर्विस रेगूलेशन्स के आधार पर मुख्य नगर अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

(2) इन विनियमों के अर्न्तगत देय निवृत्ति वेतन (पेशन) संबंधित अधिकारी को उनकी मृत्यु के दिन तक दी जायेगी। यदि अधिकारी/कर्मचारी सेवा निवृत्त होने से पूर्व ही मृत हो जाये तो कोई निवृत्ति वेतन (पेंशन) उसे देय नही होगी।

पेंशनआगणनः–

(क) पेंशन की धनराशि मूल नियम 9(21) (1) में परिभाषित सेवा निवृत्ति के अर्न्तगत उस मास के वेतन का 50 प्रतिशत होगी, बशर्ते निगम के अधिकारी/ कर्मचारी ने 20 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्व कर ली हो यदि पेंशन अहकारी सेवा की अवधि कम हो तो पेशन की धनराशि उसी अनुपात में कम हो जावेगी। (ख) 10 वर्ष से कम अर्हकारी सेवा होने पर पेंशन अनमुमन्य नहीं होगी। तथा ऐसी स्थिति में पूर्व की भॉति केवल सर्विस ग्रेच्युटी अनुमन्य होगी।

उदाहरण :– यदि कोई अधिकारी / कर्मचारी दिनांक 28.2.2013 को 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर सेवा निवृत्त होता है और उसका वेतन उस तिथि में रूपये 10,000 था तो उसकी औसत परिलब्धि निम्न प्रकार होगी।

मूल वेतन – 10,000x10=100000-00

औसत वेतन – 100000/10=10,000-00

10,000x20/40=5000-00 या अन्तिम आहरित वेतन का 50फीसदी

यदि उक्त तिथि को उसे 15 वर्ष पूर्ण कर लिये हो तो पेंशन निम्नवत होगी।

10,000x15/40=3750

30 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशनर्स/ पारिवारिक पेंशनर्स को निम्नानुसार अतिरिक्त पेंशन देय होगी।

पेंशन/ पारिवारिक पेंशनरों की आय	पेंशन में वृद्वि
80 वर्ष से 85 वर्ष से कम तक	मूल पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन का 20 प्रतिशत
85 वर्ष से 90 वर्ष से कम तक	30 प्रतिशत
90 वर्ष से 95 वर्ष से कम तक	40 प्रतिशत
95 वर्ष से 100से कम तक	50 प्रतिशत
100 वर्ष या उससे अधिक	मूल पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन का 100 प्रतिशत

(ग) परन्तु न्यूनतम पेंशन की धनराशि रू0 3500 प्रतिमाह तथा अधिकतम धनराशि राज्य सरकार द्वारा घोषित अधिकतम वेतन 1.1.2006से रू 80000/) के 50 प्रतिशत से अधिक नही होगी। यदि कोई सेवक एक से अधिक पेंशन प्राप्त कर रहा है तो समस्त पेंशन की धनराशि को जोडकर न्यूनतम 3500/– निर्धारित की जायेगी।

(ध) 20 वर्ष या उससे अधिक की सेवा पर अन्तिम माह में आहरित वेतन या 10 माह का औसत परिलब्धियॉ जो भी कर्मचारी को लाभकारी हो के 50 प्रतिशत के बराबर पेंशन अनुमन्य होगी

ङ– 80 वर्ष या उससे अधिक की आयु के पेंशनर्स से / पारिवारिक पेंशनर्स के 1.1.2006 से अनुमन्य पेंशन पर नियमानुसार अतिरिक्त पेंशन अनुमन्य कराई जोयगी। यह दरें राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर राज्य कर्मचारियों के लिए संशोधित दरों के अनुसार परिवर्तनीय होगी।

भाग–4

सारांशिकरण (कम्यूटेशन)

प्रत्येक अधिकारी/ कर्मचारी जिसे इन विनियमों के विनियम 7 के अर्न्तगत निवृत्ति वेतन मिलता हैं,उसे अपने सेवा निवृत्ति वेतन (पेंशन) के घनांक के 40 प्रतिशत भाग तक किसी भाग के सांराशिकरण कम्यूटेशन कराने का अधिकर होगा,तथा इस संबधित में उत्तर प्रदेश सिविल पेंशन कम्यूटेशन रूल्स इस प्रतिबन्ध के साथ लागू होगें, कि उक्त कम्युटेशन रूल्स के नियम 18 के तात्पर्य के लिए मुख्य नगर अधिकारी जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पास परीक्षण हेतु भेजेगें तथा इस हेतु शासन/मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्धारित शुल्क प्रार्थी द्वारा उनके कार्यालय में जमा की जायेगी। पेंशन राशिकरण हेतु शासन द्वारा एक तालिका जारी की गयी हैं जिसमें दो स्तम्भ (कालम) है। प्रथम पेंशनर की आयु दर्शाता है और दूसरे में राशिकरण की वह दर अंकित है जो प्रति एक रूपये प्रतिवर्ष की समर्पित पेंशन के लिए देय होती है। राशिकरण के आगणन हेतु किसी पेंशनर से आवेदन पत्र प्राप्त होने पर उसके आगामी जन्म दिवस पर आयु के वर्ष आगणित किये जाते है। तदोपरान्त उक्त तालिका में इस आयु के सम्मुख अंकित दर को 12 से गुणा किया जाता है एवं इस प्रकार प्राप्त होने वाले गुणनफल को पुनः पेंशनर द्वारा समर्पित पेंशन की धनराशि से गुणा किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त होने वाले गुणनफल के समतुल्य धनराशि ही पेंशनर को राशिकरण के रूप में देय होती हैं यह धनराशि पूर्ण रूपयों में पूर्णाकिंत की जाती है।

उत्तराखण्ड शासन द्वारा वित्त वि0 आ0–सा नि0 अनुभाग–7 संख्या 419/XXVii(7) 2008 देहरादून दिनांक 27 अक्टूबर 2008 में संलग्न राशिकरण तालिका :–

ANNEXURE-1

COMMUTATION VALUE FOR A PENSION OF Re 1 PER ANNUM

Agr next birthday	Commutation value expressed as number of year purchase	Age next birthday.	Commutation value number oyear purchase	Age next birthday	Commutation value expressed as number of purchase
20	9.188	41	9.075	62	8.093
21	9.187.	42	9.059	63	7.982
22	9.186	43	9.040	64	7.862
23	9.185	44	9.019	65	7.731
24	9.184	45	9.996	66	7.691
25	9.183	46	8.971	67	7.431
26	9.182	47	8.943	68	7.262
27	9.180.	48	8.913	69	7.083
28	9.178	49	8.881	70	6.897
29	9.176	50	8.846	71	6.703
30	9.173	51	8.808	72	6.502
31	9.169	52	8.768	73	6.296
32	9.164	53	8.724	74	6.085
33	9.159	54	8.678	75	5.872
34	9.152	55	8.627	76	5.657
35	9.145	56	8.575	77	5.443
36	9.136	57	8.512	78	5.229
37	9.126	58	8.446	79	5.018
38	9.116	59	8.371	80	4.812
39	9.103	60	8.287	81	4.611
40	9.090	61	8.194		

सेवा निवृत्ति अथवा पी पी ओ की तिथी से एक वर्ष के भीतर राशिकरण आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के 40 प्रतिशत भाग के राशिकरण के प्रयोजन हेतु स्वास्थ्य परीक्षा से छूट अनुमन्य होती है।

पेंशन के राशिकरण भाग को सेवानिवृत्ति की तिथि से 15 वर्ष अथवा राशिकरण के फलस्वरूप पेंशन की राशि से जब से कमी की गयी हो उसके 15 वर्ष बाद पुर्नस्थापित कर दी जायेगी

संराशिकरण की गणना :– उदाहरणः–

अधिकारी कर्मचारी की पेंशन 5000/– रू0 निर्धारित होती है अतः राशिकरण की राशि 2000 x 8.194 x 12= 196656-00

राशिकरण स्वीकृति हेतु प्रार्थना पत्र पेंशन स्वीकृति के उपरान्त ही दिया जा सकता है।

(2) राशिकरण स्वीकृति उसकी धनराशि कम करने उसे बिना कारण बताये अस्वीकृत करने तथा उस सदर्भ में सूचनायें मॉगने का अधिकार मुख्य नगर अधिकारी को है।

(सि0पै0 कम्यूटेशन नियम संख्या 3(बी)

(3)विनियम संख्या 7 के अनुसार स्वीकृत पेंशन की धनराशि के एक तिहाई भाग तक संराशित कम्यूट कराया जा सकता है।

(4)संराशिकरण की स्वीकृति निम्नाकित प्रयोजनों हेतु दी जा सकती हैं

क– निवास भवन के निर्माण या कय

ख– लिये गये ऋण की अदायगी

ग– बच्चों या आश्रितों की शिक्षा

घ– विवाह व्यय हेतु

ड. व्यापार प्रारम्भ

(सि0पे कम्यूटेशन नियम संख्या 4 बी)

(5) कोई भी संराशिकरण तब तक स्वीकृत नही किया जा सकता जब तक प्रार्थी के स्वास्थ्य तथा संभावित जीवन के संबंध में स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी को पूर्ण सन्तोष न हो जाये कि प्रार्थी द्वारा दिये गये सभी विवरण पूर्णतः सत्य हैं एवं बची हुई पेंशन प्रार्थी व उसके परिवार के भरण पोषण के लिए पर्याप्त है। यदि किसी समय स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी को यह विश्वास हो जाये कि कोई सूचना प्रार्थी द्वारा असत्य दी गयी है या कोई तथ्य छिपाया गया है तो भुगतान से पूर्व भी संराशिकरण की स्वीकृति रदद की जा सकती हैं।

(सि0पे कम्यूटेशन नियम संख्या 7)

(6) संराशिकरण की धनराशि समय – समय सरकारी कर्मचारियों के लिए इस हेतु निर्धारित आधार पर निकाली जायेगी तथा चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा निर्धारित आयु जो किसी भी दशा में पंजीकृत आयु से कम न होगी सरकारी कर्माचारियों के लिए निर्धारित आधार पर तालिका इससे पूर्व में दी गयी हैं।

(सिं0 पें0 कम्यूटेशन रूल्स संख्या–8)

(7) संराशिकरण हेतु प्रार्थना पत्र विभागीय अधिकारी/विभागाध्यक्ष जिसके अधीन पेशनर सेवा निवृत्ति से पूर्व कार्यरत था, के माध्यम से स्वीकृति प्राधिकारी को भेजा जाना चाहिये।

(सिं0 पें0 कम्यूटेशन रूल्स संख्या–14 के आधार पर)

(8) विभागीय अधिकारी/विभागाध्यक्ष को प्रार्थना पत्र में दिये विवरणों की तथा विशेष रूप से यह जाचं करनी कि संराशिकरण प्रार्थी के स्पष्ट और स्थाई हित में है । यदि वह स्थिति से संतुष्ट हो तो उसे प्रार्थी से चिकित्सा प्रमाण पत्र प्राप्त कराकर अपनी स्पष्ट अनुशंसा के साथ–साथ प्रार्थना पत्र तथा चिकित्सा प्रमाण पत्र लेखा अधिकारी को भेजना चाहिए ।

(9) चिकित्सा प्रमाण पत्र देने के लिए निर्धारित प्राधिकारी जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को किया गया है । प्रार्थी शासन द्वारा निर्धारित शुल्क मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में जमा करके आगे दिये गये पत्र पर चिकित्सा प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकेगा। प्रत्येक संराशिकरण के प्रार्थना पत्र के लिए अलग–2 चिकित्सा प्रमाण पत्र आवश्यक होगा। यदि प्रार्थी शुल्क जमा करने के बाद चिकित्सा परीक्षा न कराये तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा शुल्क लौटाने की स्वीकृति देने पर शुल्क लौटाया जा सकेगा ।

(सिं0 पें0 कम्यूटेशन रूल्स संख्या–22 के आधार पर)

(10) लेखा अधिकारी आवश्यक जांच के बाद संराषिकरण की धनराशि तथा संराशिकरण के बाद देय पेंशन की धनराशि निर्धारित करके मुख्य नगर लेखा परीक्षक को आवष्यक जांच हेतु भेजेगें,और उनके प्रमाण पत्र के आधार पर संराशिकरण के प्रभावी होने का दिनांक भरकर लेखा अधिकारी स्वीकृति प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करेगें तथा आवश्यक भुगतान तथा निवृत्ति वेतन भुगतान आदेश पत्रिका में तदनुसार प्रविष्टियों करने की कार्यवाही करेगें। संराशिकरण की स्वीकृति की सूचना लेखाधिकारी की पेंशनर को इस प्रकार भेजना उचित है कि वह उसे प्राप्त कर समय से भुगतान कर सकें ।

(11) संराशिकरण स्वीकृति आदेश के दिये गये दिनांक से ही प्रभावी होगा । यह दिनांक स्वीकृति आदेश के पारित होने के प्रायः 15 दिन बाद होना उचित है तथा सारी गणना इसी आधार पर होनी चाहिए और संराशिकरण का धनांक यथासम्भव उसी दिन भुगतान किया जाना चाहिये ।

(सिं0 पें0 कम्यूटेशन रूल्स संख्या–10 व 11 के आधार पर)

(12) प्रार्थी स्वीकृति से पूर्व तक अपना प्रार्थना पत्र वापस ले सकता हैं। संराशिकरण स्वीकृति हो जाने के बाद संराशिकरण का धन प्राप्त न करने तथा उसे लौटाने तथा पूरी पेंशन प्राप्त करने का अधिकार प्रार्थी को नहीं होगा और न वह स्वीकृत किया जा सकता हैं ।

(13) यदि संराशिकरण की कार्यवाही पूर्ण हो जाने के दिनांक या उसके बाद बिना संराशिकरण का धन प्राप्त किये पेंशनर मृत हो जाये तो सारा धन उसके उत्तराधिकारियों को भुगतान किया जायेगा ।

(सिं0 पें0 कम्यूटेशन रूल्स संख्या–13)

(14) 1– यदि चिकित्सापरीक्षक की राय में किसी ऐसी विशेष परीक्षक की आवश्यकता हो जिसे वह नहीं कर सकता है तो वह परीक्षा प्रार्थी के व्यय

पर करायी जायेगी । संराशिकरण स्वीकृत न होने पर इस प्रकार के व्यय की पूर्ति नगर निगम द्वारा नहीं की जायेगी ।

2– किसी पेंशनर के निम्नलिखित कें किसी भी एक रोग से प्रभावित होने पर पेंशन के किसी भाग का सराशिकरण नहीं किया जा सकता है ।

रोगों के नाम–

1– एन्यूरिजम
2– टयबरक्लोसिस आहफ लंग्स
3– डायोबिटीज
4– हाई ब्लड प्रेषर 200 सिस्टामिक से उपर
5– हाई ब्लड प्रेषर 160 सिस्टामिक से उपर (एल्कोन्यूवेरिया के साथ)
6– अनकम्पनसटेड कार्डिक डीजीज
7– परनिशस एनिमिया कीयिवा
8– ल्यूकोरिया
9– एनाजिला पेवटाषिस
10– एपोलेक्सी
11– एसीटीज
12– बैरीबेरी
13– केंसर के ऑपरेशन के बाद
14– मिटल एटोनोसिस
15–इनसैनिटी

(सिं0 पें0 कम्यूटेशन रूल्स संख्या–18)

(15) चिकित्सा प्राधिकारी को निर्धारित प्रपत्र के प्रथम भाग को पेंशनर से अपने सामने भराना चाहिये तथा उसके बाद उसकी पूरी चिकित्सा परीक्षा करके अपनी सम्मति, यह स्पष्ट करते हुए कि प्रार्थी ने कहां तक सही सूचना दी हैं, देनी चाहिये । चिकित्सा प्राधिकारी को प्रपत्र का भाग प्रार्थी के सामने भर के उसके हस्ताक्षर तथा उसके बांये हाथ का अंगूठा व उंगलियों के निशान करा लेने चाहिये । प्रार्थी की आवश्यकता के कारणों पर विचार करके अपनी सहमति देनी चाहिए ।

(सिं0 पें0 कम्यूटेशन रूल्स संख्या–19)

(16) सिं0 पें0 कम्यूटेशन रूल्स के नियम 24 के अनुसार यदि कोई पेंशनर चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा निर्धारित अधिक आयु को स्वीकार न करें अथवा जिसे चिकित्सा परीक्षा में संराशिकरण के योग न पाया जाये तो उसे अपने व्यय से चिकित्सा प्राधिकारी के सम्मुख दोबारा उपस्थित होने की अनुमति निम्नांकित शर्तो पर दी जा सकती हैं ।

1– पहली तथा दूसरी चिकित्सा परीक्षा में समय का अन्तर एक वर्ष से अधिक हो ।

2– दूसरी चिकित्सा परीक्षा चिकित्सा परिषद द्वारा हो तथा,

3– चिकित्सा प्राधिकारी को पिछली चिकित्सा परीक्षा से एक वर्ष से अधिक लिखित प्रमाण के अतिरिक्त पिछली चिकित्सा परीक्षा की रिपोर्ट की प्रतिलिपि भी भेजी जानी चाहियें ।

भाग– 5

विविध

नगर निगम पावतों की वसूल–

10– (1) मुख्य नगर अधिकारी की स्वीकृति से उपादान अथवा स्वीकृत पारिवारिक पेंशन के घनांक से सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा नगर निगम को देय कोई धन काटा जा सकता हैं ।

बर्खास्तगी का प्रभाव –

(2) यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी किसी कारण बर्खास्त कर दिया गया हो अथवा निकाल दिया गया हो तो साधारणतया से अथवा उसके परिवार को कोई उपादान अथवा पेंशन देय न होगी, किन्तु यदि कार्य कारिणी समिति ऐसा निश्चय करें तो विनियम–4 के अर्न्तगत प्राप्त हो सकने वाले उपादान के घनांक का आधा दया के आधार पर स्वीकृत कर सकती हैं ।

नियुक्ति वेतन निधि तथा अंशदान

11–इन विनियमों के अर्न्तगत जिन पर यह विनियम लागू हों उनके वेतन तथा महंगाई भत्ते के 12 प्रतिशत की दर से अथवा समय–समय पर शासन द्वारा संशोधित दरों पर पेंशन अंशदान प्रत्येक मास उस तिथि को जिससे उनका वेतन देय हो, निकाल कर सेवा निवृत्ति वेतन निधि में जमा करेगें । यह निधि किसी राष्टीयकृत बैंक में जमा की जायेगी । यदि किसी समय उपरोक्त खाते में सेवा निवृत्ति वेतन अथवा उपादान के भुगतान के लिए आवश्यकतानुसार धन न हो तो मुख्य नगर अधिकारी निगम निधि राज्य वित्त आयोग/ अन्य राजकीय अनुदानों से मिलने वाली धनराशि से व्यवस्था कर जमा करेगे।

निवृत्ति वेतन और उपादान के स्वीकृत विधि

12– 1 (क) प्रत्येक अधिकारी के सेवा निवृत्ति होने के बाद और प्रत्येक दशा में उसके एक महिने के भीतर उसके विभागीय पविष्टियों सेवा पुस्तिका या सेवा रोल में अधिकृत अधिकारी द्वारा उल्लिखित की जायेगी ।

(ख–1) विभागीय अधिकारी द्वारा सारी जांच आवेषण के प्रकार तथा परिणाम अभिलिखित कर दिये जाना चाहियें ।

(ख–2) सेवा की अवच्छिन्नता समानान्तर प्रमाण पर निर्धारित की जानी चाहियें । जहां तक सम्भव हो प्रथम वर्ष और अन्तिम तीन वर्षो की सेवा निश्चित रूप से प्रमाणित की जानी चाहियें । प्रथम वर्ष सेवा, यदि वे मिल सके तो सेवा पुस्तिका, स्केल, रजिस्टर, एक्वेंन्टेस रोल अथवा असली वेतन बिल से की जानी चाहियें । यदि इस प्रकार के लेखा रिकार्ड उपलब्ध न हो तो प्रथम वर्ष की सेवा के लिए उस अधिकारी जिस पर पेंशन सम्बन्धित पत्रावली तैयार करने का दायित्व हो, का अभिलेख स्वीकार किया जायेगा । विभागीय अधिकारी को प्रथम वर्ष की सेवा के प्रामाणिकरण उपरोक्त आधार पर ही करना चाहियें । यदि पेंशन का आधार समकालीन सहवर्ती प्रमाण पत्र पर आधारित हो तो उसे स्वीकार कर लिया जाना चाहियें, अन्तिम तीन वर्ष की सेवा का प्रमाणीकरण उपरोक्त आधार पर वास्तविक अभिलेखों द्वारा किया जाना चाहिये इससे पूर्व की सेवाकाल को भी जो सहवर्ती प्रमाण उपलब्ध हो उसके आधार पर स्वीकार कर लेना चाहियें ।

(ख–3) यदि किसी सेवा काल को ख–2 के अन्तर्गत स्वीकार किया जाता हो और उस काल में उपयोग किये गये सवैतनिक अथवा अवैतनिक अवकाशों के प्रमाणित अभिलेख उपलब्ध हो तो उस समय के लिए स्वीकृत सेवा काल निम्न प्रकार निकाला जाये ।

(1) उपार्जित अवकाश के लिए यह माना जाना चाहिये कि अधिकारी ने पूरा अवकाश उपभोग किया है । अन्य देय अवकाश के सम्बन्ध में अब तक अन्यथा प्रमाण न हो तो यह माना जाना चाहिये कि उनका उपभोग किया गया है । यदि अधिकारी ने अवैतनिक अवकाश प्रायः लिया हो और उसका पूर्ण विवरण उपलब्ध न हो या शंकाजनक हो तो किसी एक वर्ष में ऐसे अवकाश का अधिकतम काल ही उतना इस प्रकार अवकाश विवरण उपलब्ध न होने वाले या शंकाजनक सेवाकाल के पूरे वर्षो में प्रत्येक वर्ष माना जायेगा ।

(2) यदि किसी अधिकारी की सेवा पुस्तिका या सेवा रोल अथवा लेखों में उसके बिना वेतन अनुपस्थित के प्रमाण पाये जाते है और इस प्रकार की अनुपस्थिति के बाद भी अन्य प्रयोजनों के लिए उसकी सेवा लगातार मानी गयी हो तो किसी एक वर्ष में ऐसी अनुपस्थिति का जो अधिकतम काल हो उतनी अनुपस्थिति उसके सेवाकाल से प्रत्येक वर्ष में मानी जायेगी जिसका पूरा विवरण सेवा पुस्तिका या सेवा रोल के अभिलिखित नहीं हैं ।

(ख–4) यदि सेवा पुस्तिका या सेवारोल उपलब्ध है और उसकी प्रविष्टियों की पुष्टि या प्रमाणीकरण न हुआ हो तो उसमें दिये गये सेवाकाल को व्यक्तिगत पत्रावलियों आदि उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर प्रमाणित किया जाना चाहिए । जहां इस प्रकार के अभिलेख उपलब्ध न हों तो उस काल के लिए अधिकारी से सादे कागज पर दो सहवर्ती अधिकारियों द्वारा प्रमाणित अभिलेख प्राप्त करके रखना चाहिये यदि इस प्रकार का प्रमाण स्वीकार करने में कोई कठिनाई प्रतीत हो तो विभागीय अधिकारी द्वारा अपना अभिमत उल्लिखित कर देना चाहिये तथा उसी के अनुसार सेवा काल स्वीकार किया जाना चाहिये

(ख–5) पेंशन सम्बन्धी विवरण का आडिट निम्नांकित विधि से किया जायेगा, जब तक कोई विशेष आशंका न हो साधारणतया सारी सेवा के सम्बन्ध की प्रविष्टियों की पुष्टि के लिए निम्नलिखित की विशेष जांच की जानी चाहिए ।

(2) यदि किसी अधिकारी की सेवा पुस्तिका या सेवा रोल अथवा लेखों में उसके बिना वेतन अनुपस्थित के प्रमाण पाये जाते है और इस प्रकार की अनुपस्थिति के बाद भी अन्य प्रयोजनों के लिए उसकी सेवा लगातार मानी गयी हो तो किसी एक वर्ष में ऐसी अनुपस्थिति का जो अधिकतम काल हो उतनी अनुपस्थिति उसके सेवाकाल से प्रत्येक वर्ष में मानी जायेगी । जिसका पूरा विवरण सेवा पुस्तिका या सेवा रोल के अभिलिखित नहीं है ।

(क) स्थायी नियुक्ति की प्रथम वर्ष की सेवा तथा पूर्व की अर्हकारी सेवा ।

(ख) अन्तिम तीन वर्षो की अर्हकारी सेवा ।

(ग) अकस्मात चुने गये किसी दो या तीन वर्षो क सेवा ।

(घ) यदि सेवा पुस्तिका में जन्म तिथि, परिवर्तन, बर्खास्तगी आदि की प्रविष्टियां हों तो उनकी विषेश जांच की जानी चाहिये ।

(ड) यदि किसी अधिकारी का सेवाकाल 33 वर्ष से अधिक का हो तो उसकी स्थायी नियुक्ति के प्रथम वर्ष के पूर्व की प्रविष्टियों की जांच आवश्यक नहीं उसकी सेवा पुस्तिका तथा सम्बन्धित अन्य विवरणों को प्रपत्र (च) के साथ पूरा करके लेखाधिकारी को भेजेंगे । लेखाधिकारी सेवा निवृत्ति वेतन के धनांक तथा अन्य विवरणों की जांच करके मुख्य नगर लेखा परीक्षक को जांच के लिए सम्बन्धित कार्यालय भेजेंगें । उनकी जांच के बाद उपादान या सेवा निवत्ति वेतन तथा उपादन का धनांक मुख्य नगर अधिकारी अथवा मुख्य लेखा परीक्षक द्वारा उनके अधीनस्थ अधिकारियों के विषय में स्वीकृत किया जायेगा तथा लेखाधिकारी द्वारा सेवानिवृति वेतन भुगतान आदेश पत्रिका **प्रपत्र छ** अधिकारी को भेजी जायेगी ।

प्रतिबन्ध यह है कि मुख्य नगर अधिकारी अथवा मुख्य नगर लेखा परीक्षक (अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के सम्बन्ध में) का यह सन्तोष हो जाये कि किसी अधिकारी के उपादान तथा सेवा निवृति वेतन पेंशन की स्वीकृति में अत्यधिक विलम्ब होगा तो वह सम्बन्धित अधिकारी द्वारा **प्रपत्र झ** में घोषणा पत्र देने पर अप्रत्याशित मृत्यु सम्मिलित सेवा निवृत्ति उपादान और सेवा निवृत्ति वेंतन पेंशन का भुगतान

स्वीकृत कर सकते हैं। इस प्रकार के भुगतान का धन लेखा अधिकारी द्वारा अत्यधिक सावधानी पूर्वक ऐसे संक्षिप्त परीक्षण, जिसे वह अविलम्ब कर सकें, निर्धारित किये गये मृत्यु सम्मिलित सेवा निवृत्ति उपादान और मासिक सेवा निवृत्ति वेतन की धनराशि का 75 प्रतिशत से अधिक न होगा ।

(2) सेवा निवृत्ति वेतन और उपादान की भुगतान की विधि –

सेवानिवृत्ति वेतन लेखा अधिकारी द्वारा भुगतान किया जायेगा। भुगतान चैक द्वारा किया जायेगा । भुगतान के लिए सेवा निवृत्ति वेतन पाने वाले व्यक्तियों को अपनी सेवा निवृत्ति वेतन पुस्तिका तथा **प्रपत्र ज** में आवश्यक विवरण भरकर लेखाधिकारी को देना होगा। **प्रपत्र ज** व निवृत्ति वेतन भुगतान आदेश पाने पर लेखाधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी उपस्थिति व जीवित होने के प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करेगा तदुपरान्त पेंशनर को चैंक दी जायेगी इन विनियमों के अन्तर्गत भुगतान होने वाले उपादन के भुगतान में भी निवृत्ति वेतन के भुगतान की रीति काम में लायी जायेगी

(3) यदि कोई अधिकारी अपने सेवा निवृत्ति वेतन का भुगतान डाकघर के मनी आर्डर द्वारा चाहता है तो वह **प्रपत्र ज** भरकर उस पर पिछले मास का सेवानिवृत्ति वेतन का भुगतान की नीति और दिनांक लिखकर अपने जीवित होने का किसी **राजपत्रित (गजटेड)** अधिकारी से मोहर के साथ प्रमाणित कराकर लेखा अधिकारी को भेजेगे और लेखाधिकारी सेवा निवृत्ति के वेतन के धनांक से मनी आर्डर कमीषन काटकर शेष धन मनीआर्डर से भेजेंगे और किये गये भुगतान की सेवानिवृत्ति वेतन भुगतान आदश पत्रिका की कार्यालय में प्रविष्ट करेंगे । किसी भी दशा में 12 मास करने के पूर्व अधिकारी/कर्मचारी की सेवानिवृत्ति वेतन भुगतान आदेश पंजिका प्रतिलिपि में लेखा अधिकारी प्रविष्टियां पूरी करेंगे ।

(4)पेंशनर्स/ पारिवारिक पेंशनर्स के सेवा निवृत्तिक पेंशन/ पारिवारिक पेंशन के सुविधाजनक भुगतान निगम प्रशासन द्वारा बैंक में पेंशनर्स/ पारिवारिक पेंशनर्स के खाते खुलवाकर उनके माध्यम से जमा किया जायेगा। मुख्य नगर अधिकारी अपने विवेक से यथोचित निर्णय लेने हेतु सक्षम होगे।

पेंशन निधि की स्थापना और भुगतान की पकिया

13–पेंशन निधि की स्थापना और भुगतान की प्रकिया –

मुख्य नगर अधिकारी के नियंत्रण में एक सामान्य पेंशननिधि स्थापित की जायेगी, जो हल्द्वानी नगर निगम पेंशन निधि के नाम से जानी जायेगी। जिसे आगे निधि कहा गया हैं । नियम 11 के द्वारा नगर निगम द्वारा देय पेंशन सम्बन्धी अंशदान की धनराशि इस निधि में जमा की जायेगी ।

14–**रोकड़ बही रखना** –

निधि में जमा किया जाने वाला समस्त धन और उससे किये जाने वोल समस्त भुगतान की प्रविष्टी मुख्य नगर अधिकारी द्वारा रोंकड़ बही में की जायेगी। इस विनियमावली के संलग्न **प्रपत्र ड** में रखी जायेगी ।

15– पेंशन अंशदान के सम्बन्ध में प्रकिया –

पेंशन सम्बन्धी अंशदान की धनराशि प्रतिमास के छठे दिनांक से पूर्व मुख्य नगर अधिकारी द्वारा बैंक में जमा की जायेगी । इस विनियमावली से संलग्न **प्रपत्र ट** में चालान तैयार किया जायेगा । चालान के साथ एक सूची होगी, जिसमें सेवा के सदस्य का नाम, पदनाम, वेतन और अंशदान की धनराशि का पूर्व विवरण दिया जायेगा। यह चालान चार प्रतियों में तैयार किये जायेगें । चालान की प्रथम और द्वितीय प्रतियॉ बैंक द्वारा जमाकर्ता को वापस दी जायेगी, और चालानों की तृतीय और चतुर्थ प्रतियॉ बैंक द्वारा जमाकर्ता को वापस दी जायेगी और चालानों की तृतीय और चतुर्थ पतियां सूची के साथ क्रमशः जमाकर्ता और बैंक द्वारा प्रतिमास के दसवें दिनांक तक मुख्य नगर अधिकारी को भेजी जायेगी । लेखा अधिकारी चालान की इन प्रतियों का मिलान करेगा और रोकड़ बही में अंशदान की धनराशि की प्रविष्टि करेगा । चालान की प्रतियॉ लेखा परीक्षा के प्रयोजनार्थ गार्ड फाइल मे सुरक्षित रखी जायेगी ।

16– **लेखा बही का रखा जाना** – सम्बद्व सेवा के सदस्य का खाता भी इस विनियमावली से संलग्न **प्रपत्र ठ** में रखा जायेगा । खाता बही में प्रतिमास अधिकारी को भुगतान किये गये वेतन की धनराशि और जमा किये गये अंशदान की धनराशि प्रविष्टि की जायेगी । खाता बही में प्रविष्टियां चालानों की प्रतियों से की

जायेंगी । और प्रत्येक मास के अन्त में खाता बही में प्रविष्टि किये गये अंशदान की धनराशि का मिलान रोकड बही में प्रविष्टि की गयी तत्समान धनराशि से किया जायेगा । खाता बही का पुनर्विलोकन यह निश्चित करने के लिए किया जायेगा कि समस्त सेवा के सदस्यों से सम्बन्धित पेंशन सम्बन्धी अंशदान जमा कर दिया गया है या नहीं । यदि किसी मामले में उसे जमा नहीं किया गया है,तो उसे तुरन्त जमा कराया जायेगा ।

17–पेंशन भुगतान आदेश –

इस विनियमावली के अधीन पेंशन/पारिवारिक पेंशन/उपादान की धनराशि स्वीकृत कर दिये जाने के पश्चात प्रत्येक मामले में स्वीकृत की गयी पेंशन/पारिवारिक पेंशन/उपादान के भुगतान के लिए मुख्य नगर अधिकारी द्वारा इस विनियमावली के संलग्न **प्रपत्र ड** में पेंशन पत्र भुगतान आदेश जारी किया जायेगा । इस आदेश की प्रतियां पेंशन भोगी और उस विभाग को जहां से सम्बद्व सेवा के सदस्य सेवा निवृत्त हुआ हैं, को पृष्ठाकित की जायेगी ।

18–लेखा परीक्षा जांच रजिस्टर –

पेशन भोगियों को पेंशन समय पर और ठीक ठीक भुगतान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से **प्रपत्र थ** में एक लेखा परीक्षा जांच रजिस्टर रखा जायेगा । इस रजिस्टर में प्रत्येक पेंशन भोगी का एक पृथक खाता खोला जायेगा ।

सामान्य भविष्य निधि

19– जिन अधिकारियों को यह विनियम प्रभावी होंगे,उन्हें नगर निगम के सामान्य भविष्य निधि खाते का सदस्य होना पड़ेंगा और उसमें अपने 12 पैसे प्रति रूपये से कम न होते हुए भी 25 पैसा प्रति रूपया प्रतिमाह का अपना अंशदान जमा करना पडेगा । अंशदान की दर उन्हें अपनी नियुक्ति के शीघ्र बाद घोषित कर देना पडेगा । जब तक कि इसमें किसी परिवर्तन का नोटिस मुख्य नगर अधिकारी अथवा मुख्य नगर लेखा परीक्षक को किसी वर्ष मार्च के प्रथम सप्ताह में न दें, अगले वर्ष के लिए वही दर बनी रहेगी तथा वर्ष के बीच अंशदान की पूर्व दर में कोई परिवर्तन स्वीकृत न किया जायेगा ।

20– भविष्य निधि के अंशदान में काटा गया धन प्रतिमास की 10 तारीख से पहले बैंक में जमा कर दिया जायेगा जिससे उसमें ब्याज मिल सके ।

21–मुख्य नगर अधिकारी को यह अधिकार होगा कि अधिकारी/कर्मचारी की लिखित सहमति से सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा धन में से बैंक एल डी आर/राष्टीय बचत पत्रों में विनियोजित कर दें ।

22–प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी को भविश्य निधि का सदस्य होने पर उसकी मृत्यु के उपरान्त उसके खाते में जमा भविष्य निधि धन का भुगतान के लिए नामांकन पत्र विनियम 6 के अनुसार देना होगा । यह नामांकन पत्र मुख्य नगर अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त किये जायेगें और प्राप्ति की दिनांक लिखकर तथा आवश्यक रजिस्टर में दर्ज करके अपने अभिरक्षा कस्टडी में रखे जायेगें।

23–सामान्य भविष्य निधि में जमा हुए धन में से यदि कोई अधिकारी चाहे तो मुख्य नगर अधिकारी उसे अस्थायी अग्रिम/ऋण स्वीकृत कर सकते हैं। इन अग्रिमों की स्वीकृति तथा उनकी वसूली की निम्नलिखित विधि अपनाई जायेगी ।

(1) साधारणतः अग्रिम की धनराशि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के तीन मास के वेतन से अधिक न होगी । विषम परिस्थितियों में मुख्य नगर अधिकारी अपने स्वविवेक से अधिक धन भी दे सकते हैं लेकिन वह धनराशि भविष्य निधि में जमा धनराशि के आधे से अधिक नहीं होगी ।

(2) यह ऋण अधिकारियों को प्रायः ऐसे व्यय को वहन करने के लिए दिये जायेगें जिनका वहन करना उनके सामाजिक तथा धार्मिक बन्धनों के अन्तर्गत अनिवार्य हो । इन व्ययों में अपने परिवार की शिक्षा, उनकी बीमारी, विवाह अथवा मृत्यु सम्बन्धी व्यय सम्मिलित होगें ।

(3) यह अग्रिम अधिकारी/कर्मचारी से 20 किश्तों में वसूल किये जायेंगे इन ऋणों पर ब्याज के रूप में एक अतिरिक्त किष्त देय होगी ।

(4) अग्रिम की ब्याज सहित वापसी पूरी होने के 12 महीने बाद ही दूसरा अग्रिम साधारणः दिया जायेगा परन्तु विषेश परिस्थितियों में दूसरा अग्रिम 12 माह के पूर्व भी दिया जा सकता है।

24– यदि कोई अधिकारी चाहे तो अपने साधारण भविष्य निधि में जमा धन से पालिसी का प्रीमियम अदा करने के लिए पौलिसी को मुख्य नगर अधिकारी के नाम प्रति ग्रहण प्लस कर सकता है और प्लस की हुई पौलिसी मुख्य नगर अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के संरक्षण कस्टडी में रहेगी । पौलिसी की प्रीमियम के लिये अग्रिम को बीमा कारपोरेशन को भुगतान किये जाने के सबूत में कार्पोरेशन की रसीद मुख्य नगर अधिकारी के पास जमा करनी होगी । इस प्रकार की पॉलिसी को चालू रखने की जिम्मेदारी सम्बन्धित अधिकारी की होगी । पॉलिसी परिपक्व (मैच्योर) होने पर उसका रूपया वसूल करके अधिकारी के भविश्य निधि खाते में जमा कर दिया जायेगा । यदि सम्बन्धित अधिकारी पॉलिसी परिपक्व होने के पूर्व सेवा निवृत्ति हो जाये तो मुख्य नगर अधिकारी के हित में पॉलिसी प्रति ग्रहण करके उसे लौटा देंगे ।

25–किसी अधिकारी/कर्मचारी के खाते में सामान्य भविष्य निधि में जमा धन उसकी नगर निगम की सेवा में निवृत्ति होने पर उसे लौटा दिया जायेगा ।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि अधिकारी चाहे तो सामान्य भविष्य निधि में अपने खाते में जमा धन को निम्नलिखित कार्य के लिए प्रत्येक के लिए साथ उल्लिखित प्रतिबन्धों के अनुसार मुख्य नगर अधिकारी की स्वीकृति से सेवा निवृत्ति होने के पूर्व भी निकाल सकता है ।

(1) अपने निवास के लिए मकान बनाने, क्रय करने या इस सम्बन्ध में लिये गये ऋण को अदा करने अथवा लड़का, लड़की के विवाह करने के लिए अपने और उस पर मिले ब्याज के धन को 20 वर्श की सेवा पूर्ण करने या सेवा अवधि पूर्ण होने से दस वर्ष पूर्व ।

(2) अपने आश्रित बच्चों की निम्नलिखित शिक्षा के लिए तीन महिने के वेतन या भविष्य निधि में जमा धन के आधे तक, जो भी कम हों

(क) विदेश में विद्या (एकेडमिक) औद्यौगिक (टैक्नीकल) कला सम्बन्धी (प्रोफेशनल) पाठयक्रमों "कोर्सेज" के लिए।

(ख) भारत में ऐसे चिकित्सा (मेडिकल) अभियान्त्रिक (इंजीनियर) तथा अन्य औद्यौगिक (टैक्नीकल) अथवा विशिष्ट "स्पेसलाईज्ड" पाठयक्रमों "कोर्सेज" के लिए जिनकी पढ़ाई का समय तीन वर्ष से अधिक हो और वह शिक्षा इन्टरमीडिएट के बाद की हो, दोनों दशाओं में धन निकालने के लिए छः माह के भीतर उसे मुख्य नगर अधिकारी को सन्तोष दिलाना होगा कि धन उस कार्य में जिसके लिए वह निकाला गया था, प्रयोग कर लिया गया ।

ऐसा न करने पर अग्रिम लिया गया धन, मुख्य नगर अधिकारी को सामान्य भविष्य निधि में उसके खाते में जमा करने के लिए लौटा देना होगा । जब तक कि मुख्य नगर अधिकारी उस धन के प्रयोग का समय बढ़ा न दें। यदि अधिकारी/कर्मचारी मुख्य नगर अधिकारी को या तो व्यय के विषय में सन्तोश दिला सकें अथवा बचा हुआ धन लौटाये,तो मुख्य नगर अधिकारी वह धन उसके वेतन से उचित किश्तों में वसूल करने के लिए सक्षम होंगे ।

प्रपत्र–क
विनियम–5 (5)

मृत्यु सम्मिलित सेवानिवृत्ति उपादान तथा भविष्य निधि के हेतु नामांकन

(यदि अधिकारी/कर्मचारी के परिवार है और वह उनके किसी एक सदस्य को नामांकित करना चाहे)

मैं इस प्रमाण पत्र द्वारा निम्नांकित व्यक्ति को, जो मेरे परिवार का सदस्य हैं, नामांकित करता हूँ तथा उसे उस उपादान तथा भविष्य निधि को प्राप्त करने का अधिकार देता हूँ, जिसे मेरी निगम की सेवा में रहते मृत्यु होने की दशा में मुख्य नगर अधिकारी स्वीकृत करें तथा मेरी मृत्यु के बाद उसे उपादान तथा भविष्य निधि को भी प्राप्त करने का अधिकार देता हूँ, जो मेरे सेवा निवृत्त होने पर प्राप्त हो और जो मुझे मेरी मृत्यु के समय प्राप्त रह जाये ।

नांमांकित व्यक्ति का नाम व पता	अधिकारी /कर्मचारी से सम्बन्ध	आयु	वे अवस्थायें, जिनके उत्पन्न होने पर नामांकन निष्प्रभावी हो जायेगा ।	उस व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के नाम (यदि कोई हो)और उसका पता तथा सम्बन्ध जिन्हें नामांकित व्यक्ति को अधिकारी/कर्मचारी के पूर्व मृत्यु होने पर नामांकित व्यक्ति को दिये गये अधिकार प्राप्त होगें अथवा नांमाकित व्यक्ति की मृत्यु के बाद उपादान एवं भविष्य निधि का धन प्राप्त करने के पूर्व मृत्यु होने पर अधिकार प्राप्त होगा ।	उपादान का धन अथवा भाग को प्रत्येक को देये होगा ।

यह नामांकन–पत्र मेरे द्वारा इससे पूर्व दिनांक ..... को किये गये नांमाकन को रद्द करता हैं ।

टिप्पणी– अधिकारी/कर्मचारी के इस प्रपत्र में में लिखी गई अन्तिम पंक्ति से नीचे के खाली स्थान को लकीर खीचकर निष्प्रयोज्य कर देना उनके हस्ताक्षर करने के बाद इसमें कुछ ———————— लिखा न जा सके ।

प्रपत्र–(ख)
विनियम–5 (5)

मृत्यु सम्मिलित सेवानिवृत्ति उपादान तथा भविष्य निधि के हेतु नामांकन

(जब अधिकारी के परिवार हो तथा वह उसके एक से सदस्य को नामांकित करना चाहे)

मैं इस प्रमाण पत्र द्वारा निम्नांकित व्यक्तियों को, जो मेरे परिवार का सदस्य हैं, नामांकित करता हूँ तथा उन्हें नीचे लिखे अनुसार उस उपादान तथा भविष्य निधि को प्राप्त करने का अधिकार देता हूँ, जिसे मेरी नगर निगम की सेवा में रहते मृत्यु होने की दशा में मुख्य नगर अधिकारी स्वीकृत करें, तथा मेरी मृत्यु के बाद उस उपादान तथा भविष्य निधि को भी प्राप्त करने का अधिकार देता हूँ, जो मुझे मेरे सेवा निवृत्त होने पर प्राप्त हो और मुझे मेरी मृत्यु के समय प्राप्त रह जाये ।

नामांकित व्यक्तियो के नाम व पते	अधिकारी /से सम्बन्ध (रिश्ता)	आयु	उपादान तथा भविष्य निधि का धन अथवा भाग जो प्रत्येक को देय होगा ।	अवस्थायें, जिनके उत्पन्न होने पर नामांकन निष्प्रभावी हो जायेगा ।	उस व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का नाम (यदि कोई हो)और उसका पता तथा सम्बन्ध जिन्हें नामांकित व्यक्ति की अधिकारी से पूर्व मृत्यु होने पर नामांकित व्यक्ति को दिये गये अधिकार प्राप्त होगें अथवा नांमाकित व्यक्ति अधिकारी की मृत्यु के बाद उपादान तथा भविष्य निधि का धन प्राप्त करने के पूर्व मृत्यु होने पर अधिकार प्राप्त होगा ।	उपादान या भविष्य निधि धन के भाग को प्रत्येक को होगा ।

यह नामांकन–पत्र मेरे द्वारा इससे पूर्व दिनांक ..... को किये गये नांमाकन को अब रद्द करता हैं ।

टिप्पणी– अधिकारी के इस प्रपत्र में में लिखी गई अन्तिम पंक्ति के नीचे के खाली स्थान को लकीर खीचकर निष्प्रयोज्य कर देना चाहिए जिससे उसकें हस्ताक्षर करने के बाद उसमें कुछ लिखा न जा सके ।

दिनांक ..... माह..... सन्.....को.....बजे.....

स्थान..... मैं नामांकन किया ।

साक्षी (1)

(2)

अधिकारी के हस्ताक्षर

इस स्तम्भ में भरा गया धन/भाग इस तरह से भरा जाना चाहिऐ जिससे उपादान तथा भविष्य निधि का पूरा धन/भाग विभाजित हो जाये ।

इस स्तम्भ में भरा गया धन/भाग प्रारम्भ में किये गये नामाकित व्यक्तियों को दियेगये समस्त धन/भाग के बराबर हों ।

(विभागीय (विभागीय अधिकारी द्वारा भरे जाने को)

.....पद .....कार्यालय ..... के द्वारा नामांकित

विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर

पद –

प्रपत्र–(ग)

विनियम–5 (5)

मृत्यु सम्मिलित सेवानिवृत्ति उपादान तथा भविष्य निधि के हेतु नामांकन

(जब अधिकारी के परिवार न हो और वह किसी व्यक्ति को नामांकित करना चाहे)

मेरे कोई परिवार नही हैं । मैं इस प्रमाण पत्र द्वारा निम्नांकित व्यक्ति को, नामांकित करता हूँ तथा उसे उस उपादान तथा भविष्य निधि को प्राप्त करने का अधिकार देता हूँ, जिससे मेरी नगर निगम की सेवा में रहते मृत्यु होने की दशा में मुख्य नगर अधिकारी स्वीकृत करें, तथा मेरी मृत्यु के बाद उसे उपादान तथा भविष्य निधि का भी प्राप्त करने का अधिकार देता हूँ । जो मेरी सेवा निवृत्त होने पर प्राप्त हो और जो मुझे मेरी मृत्यु के समय प्राप्त रह जाये ।

नामांकित व्यक्ति का म व पता	अधिकारी से सम्बन्ध	आयु	वे अवस्थायें, जिनके उत्पन्न होने पर नामांकन निष्प्रभावी हो जायेगा ।	उस व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के नाम (यदि कोई हो) और उसका पता तथा सम्बन्ध जिन्हें नामांकित व्यक्ति जो अधिकारी/कर्मचारी से पूर्व मृत्यु होने पर नामांकित व्यक्ति को दिये गये अधिकार प्राप्त होगें अथवा नांमाकित व्यक्ति को अधिकारी की मृत्यु के बाद उपादान तथा भविष्य निधि का धन प्राप्त करने के पूर्व मृत्यु होने पर अधिकार प्राप्त होगा ।	उपादान तथा/या भविष्य का धन अथवा भाग जो प्रत्येक को देय होगा

यह नामांकन–पत्र मेरे द्वारा इससे पूर्व दिनांक ..... को किये गये नांमाकन को अब रद्द करता हैं ।

दिनांक ..... माह..... सन्.....को.....

स्थान..... मैं नामांकन किया ।

साक्षी (1)

(2)

अधिकारी के हस्ताक्षर

यह स्तम्भ इस प्रकार भरा जायेगा जिससे उपादान तथा भविष्य निधि का पूरा धन बट जाये ।

(विभागीय अधिकारी द्वारा भरे जाने को)

..... पद .....कार्यालय .....के द्वारा नामांकित

दिनांक .....

(विभागीय अधिकारी) के हस्ताक्षर

पद –

नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम

प्रपत्र–(घ)

विनियम–5 (5)

मृत्यु सम्मिलित सेवानिवृत्ति उपादान तथा भविष्य निधि के हेतु नामांकन

(यदि अधिकारी के परिवार न हो और वह एक से अधिक व्यक्तियों को नामांकित करना चाहे)

मेरे कोई परिवार नही हैं, मैं निम्नांकित व्यक्ति को, नामांकित करता हूँ तथा उन्हें नीचे लिखे अनुसार उस उपादान तथा भविष्य निधि को प्राप्त करने का अधिकार देता हूँ, जिससे मेरी नगर निगम की सेवा में रहते मृत्यु होने की दशा में मुख्य नगर अधिकारी स्वीकृत करें, तथा मेरी मृत्यु के बाद उस उपादान तथा भविष्यनिधि को भी प्राप्त करने का अधिकार देता हूँ जो मुझे मेरी सेवा निवृत्त होने पर प्राप्त हो और जो मुझे मेरी मृत्यु के समय प्राप्त रह जाये ।

नामांकित व्यक्तियों के नाम व पते	अधिकरी से सम्बन्ध	आयु	उपादान तथा भविष्य निधि का धन अथवा भाग जो प्रत्येक को देय होगा ।	वे अवस्थायें जिनके उत्पन्न होने पर नामांकन निष्प्रभावी हो जायेगा ।	उस व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का नाम (यदि कोई हो) और उसका पता तथा सम्बन्ध जिन्हें नामांकित व्यक्ति को अधिकारी से पूर्व मृत्यु होने पर नामांकित व्यक्ति को दिये गये अधिकार प्राप्त होगें अथवा नांमाकित व्यक्ति की अधिकारी की मृत्यु के बाद उपादान तथा भविष्य निधि का धन प्राप्त करने के पूर्व मृत्यु होने पर अधिकार प्राप्त होगा ।	उपादान तथा भविष्य निधि धन अथवा जो प्रत्येक को देय हो ।

यह नामांकन मेरे द्वारा इससे पूर्व दिनांक ..... को किये गये नांमाकन को अब रद्द करता हैं ।

टिप्पणी– अधिकारी के द्वारा इस प्रपत्र में लिखी गई अन्तिम पंक्ति के नीचे के खाली स्थान को लकीर खीचकर निष्प्रयोज्य कर देना चाहिए जिससे उसकें हस्ताक्षर करने के बाद उसमें कुछ लिखा न जा सके ।

दिनांक ..... माह..... सन्.....को.....बजे.....

स्थान..... मैं नामांकन किया ।

साक्षी (1)

(2)

अधिकारी के हस्ताक्षर

इस स्तम्भ में भरा गया धन/भाग इस तरह से भरा जाना चाहिये जिससे उपादान तथा भविष्य निधि का पूरा धन/ भाग विभाजित हो जाये ।

इस स्तम्भ में भरा गया धन/भाग प्रारम्भ में किये गये नामांकित व्यक्तियो को दिये गये समस्त धन/भाग के बराबर हों ।

(विभागीय अधिकारी द्वारा भरे जाने को)

..... पद .....कार्यालय .....के द्वारा नामांकित

दिनांक .....

(विभागीय अधिकारी) के हस्ताक्षर .....

पद –

नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम

प्रपत्र–थ

विनियम–5 (5)

(नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम के मृत अधिकारी के वैध उत्तराधिकारी अथवा परिवार के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर हेतु

चूंकि ..... (यहा परिवारिक सेवा – निवृत्ति वेतन) मात्र (पेंशन)/मृत्यु सम्मलित सेवा निवृत्ति उपादान/पेंशन या उपादान का बकाया धन स्वीकृत करने वाले पदाधिकारी का नाम लिखियें । ने (रू0.....) का धन जो मुझे देय परिवारिक सेवा– निवृत्ति वेतन है और/अथवा रूपये ..... (रू0.....) जो मृत्यु सम्मलित सेवा निवृत्ति उपादान/बकाया पेंशन या उपादान जो श्री/श्रीमती .....(यहा नगर निगम के मृत अधिकारी के नाम व पद नाम लिखित) का देय धन हैं, मुझे भुगतान करना स्वीकार कर लिया है, अतः मैं इस लेख द्वारा अंगीकार करता हूँ कि उपरोक्त कथित दिये धन/धनो के स्वीकार करने में मैं पूर्ण रूप से यह समझता हूँ कि मुझे देय पारिवारिक (पेंशन.) सेवा निवृत्ति वेतन और मृत्यु सम्मलित सेवा निवृत्ति उपादान/मृत श्री/श्रीमती ..... को देय बकाया पेंशन या उपादान का धन विनियमो और नियमो के अर्न्तगत मुझे देय धन के वास्तिविक धनांक से अधिक पाये जाने पर संशोधनीय हैं । मैं बचन देता हूँ कि इस प्रकार संशोधन (रिविजन.) में मुझे कोई आपत्ति न होगी । मैं यह भी बचन देता हूँ कि उस धनांक से जिसका मैं अन्तिम रूप से अधिकारी पाया जाऊं अधिक भुगतान किये गये कुल धन को मैं लौटा दूगॉ ।

मैं इस लेख द्वारा यह भी घोषणा करता हूँ और बचन देता हूँ कि नगर निगम हल्द्वानी के कर्मचारियों के सेवा निवृत्ति वेतन तथा सामान्य भविष्य निधि विनियम 1999 के विनियम 3 के उप विनियम 2 (क) के अनुसार भविष्य निधि के भाग धन में आगे चलकर पाये गये अधिक भुगतान के धन को भी में लौटा दूँगा तथा मुख्य नगर अधिकारी को मैं अधिकार देता हूँ कि वे इस प्रकार के अधिक भुगतान किये गये धन को भविष्य में मुझे देय पेंशन से काट लें ।

1– साक्षी के हस्ताक्षर

पता व पेशा

2– साक्षी के हस्ताक्षर

पता व पेशा

हस्ताक्षर

लाभ प्राप्तकर्ता (बेनिफेसरी.) के

नोट–

1– प्रत्येक लाभ प्राप्तकर्ता को अलग घोषणा पत्र देना चाहिऐ ।

2– प्रार्थी के निवास,गॉव या परगना के दो या अधिक प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा घोषणा पत्र कर साक्षी होनी चाहिऐं ।

नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम

प्रपत्र–त

श्री .....भूतपूर्व ..... कार्यालय/विभाग के परिवार के लिए मृत्यु सम्मिलित सेवा–निवृत्ति उपादान (डेथ कम रिटायरमेंन्ट ग्रेच्यूटी)/अवशेष उपादान (ग्रेच्यूटी) स्वीकृति हेतु प्रार्थना पत्र–

1– प्रार्थी का नाम–

2– मृत अधिकारी/सेवा निवृत्त वेतन प्राप्तकर्ता (पेंशनर) से सम्बन्ध (रिलेशनशिप)

3– जन्म दिनांक
4– यदि मृतक सेवा निवृत्ति वेतन प्राप्तकर्ता (पेंशनर) था तो उसका सेवा निवृत्ति का दिनांक
5– अधिकारी सेवा निवृत्ति वेतन प्राप्तकर्ता (पेंशनर) की मृत्यु का दिनांक
6– प्रार्थी का पूरा पता
7– प्रार्थी के हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का चिन्ह्
8– (1) .....
(2) .....द्वारा
.....प्रमाणित (अटेस्टेड किया गया ।
9– साक्षी का नाम व पूरा पता हस्ताक्षर
(1) .....
(2) .....

मुख्य नगर अधिकारी
नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम

नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम

प्रपत्र–ड

प्रथम भाग

सेवा निवृत्ति वेतन प्राप्तकर्ता (पेंशन) अथवा उपादान तथा मृत्यु सम्मिलित सेवा निवृत्ति उपादान हेतु प्रार्थना पत्र–

1– प्रार्थी का नाम–
2– पिता का नाम (तथा नगर निगम के स्त्री कर्मचारी के सम्बन्ध में पति का नाम भी)
3– धर्म तथा राष्टीयता
4– ग्राम, नगर, जिला तथा राज्य दिखाते हुए स्थायी निवास का पता –
5– (क) वर्तमान अथवा अन्तिम नियुक्ति स्थापना (स्टेवलिशगेन्ट) के नाम सहित
(ख) वर्तमान अथवा अन्तिम नियुक्ति का पद
6–(क) सेवा कें प्रारम्भ का दिनांक
(ख) सेवा समाप्ति का दिनांक
7– रूकावटों (इन्स्टपशन्स) तथा अनहंकारी (नान–क्वालीफांइग) सेवा नियमों के विवरण सहित सेवाकाल वर्ष मास दिन
8– प्रार्थी सेवा–निवृत्त वेतन (पेंन्शन) अथवा उपादान का प्रकार तथा प्रार्थना पत्र का कारण
9–औसत उपलब्धियां
10– प्रस्तावित पेंन्शन या उपादान
11– प्रस्तावित मृत्यु सम्मिलित सेवा निवृत्ति उपादान
12–पेंन्शन प्रारम्भ होने का दिनांक
13–क्या नामांकन प्रस्तुत किया हैं ।
(1) पारिवारिक सेवा निवृत्ति वेतन हेतु
(2) मृत्यु सम्मिलित सेवा निवृत्ति उपादान हेतु
14– ईसवी सन् के अनुसार प्रार्थी का जन्म दिनांक
15– ऊँचाई (हाईट)
16– (क) पहचान चिन्ह
(ख) बॉयें हाथ के अंगूठे और उगलियों के चिन्ह

फोटो पेंशन भोगी

पत्नी

अंगूठा तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठिका

17– प्रार्थी द्वारा पेंशन/उपादान हेतु प्रार्थना पत्र प्रेषित करने का दिनांक–

18– यदि प्रार्थी अंशदानी (कंटीव्यूटरी) भविष्य निधि का सदस्य हो तो कृपया उसकी लेखा संख्या दीजिए ।

प्रार्थी के हस्ताक्षर

विभागीय अधिकारी
विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर

7– निम्नलिखित द्वारा अद्वप्रमाणित

निम्नलिखित द्वारा साक्षीकृत हस्ताक्षर

(1)
(2)

(1)
(2)

8– आवेदक का पूरा पता .....

टिप्पणी (1) पारिवारिक पेंशन के साथ भेजी गई विवरण तथा हस्ताक्षर/अगूठा/ और अंगूलियों के चिन्ह् दो प्रतियों में तथा उस नगर ग्राम या परगना, जिसमें प्रार्थी निवास करता हो, के दो या अधिक प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा प्रमाणित होने चाहिऐं ।

(2) यदि प्रार्थी उपर के क्रम संख्या 6 (ख) में दो श्रेणी में आता हो तो उसे मृत अधिकारी/सेवानिवृत्ति वेतन प्राप्त कर्ता (पेंन्शनर) पद अपने भरण भोषण हेतु आश्रित होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए ।

(3) यदि प्रार्थी मृत अधिकारी/सेवानिवृत्ति वेतन प्राप्त कर्ता (पेंन्शनर) का अवयस्क सगा भाई हो तो उसकी पुष्टि के लिए आ का असली प्रमाण पत्र (दो प्रमाणित प्रतिलियों सहित), जिसमें प्रार्थी का जन्म दिनांक दिया हो, लगाना चाहिए । आवश्यक सत्यापन के बाद असली प्रमाण पत्र प्रार्थी को लौटा दिया जायेगा ।

प्रपत्र–(च)

विनियम–12 (1) (क)

लेखा अधिकारी को सेवा निवृत्ति वेतन और उपादान स्वीकृति के लिए विभागीय अधिकारी द्वारा भेजे जाने वाले पत्रों की तालिका :

1– सेवा निवृत्ति वेतन और उपादान स्वीकृति के लिए प्रार्थना–पत्र (मुख्य नगर अधिकारी द्वारा निर्धारित फार्म में) ।

2– अंशवतता का प्रमाण–पत्र (यदि अंशवतता के कारण पेंन्शन मांगी जाती हो) ।

3– सेवा पुस्तिका पूरी करके ।

4– औसत उपलब्धियों का विवरण ।

5– अंन्तिम वेतन प्रमाण पत्र ।

6–(क) साक्षीकृत दो नमूने के हस्ताक्षर (अटेस्टेड सपेमीमेन सिगनेचर) ।

(ख) दो स्लिप जिन पर बाये हाथ के अंगूठे व अगूलियों के साक्षीकृत चिन्ह् हो तथा साक्षीकृत पासपोर्ट साईज फोटो।

7– किसी अन्य पेन्शन व ग्रेज्यूटी न पाने का पेंन्शर का घोषणा पत्र ।

लेखाधिकारी–

उपर दिये हुऐ कागजात श्री/श्रीमती ..... पर को पेंन्शन अथवा और उपादान स्वीकृत करने के लिए भेजे जा रहे हैं । कृपया इन्हें चैंक करके आगे की कार्यावाही करें ।

विभागीय अधिकारी

प्रपत्र–(छ)

विनियम–12 (ख–5) (ड.)

सेवानिवृत्ति वेतन भुगतान आदेश पत्रिका संख्या
(सेवा–निवृत्ति वेतन वाले अधिकारी के लिए)
बजट मद जिससे देय–
निवृत्ति वेतन प्राप्तकर्ता का नाम–

निवृत्ति वेतन का प्रकार तथा स्वीकृति आदेश की संख्या व दिनांक	जन्म तिथि	जाति	निवास–स्थान का पता	मासिक निवृत्ति वेतन का धनांक	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6

श्रीमान लेखा अधिकारी
नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम
आगामी नोटिस तक प्रत्येक मास के समाप्त होने पर आप श्री .....पुत्र श्री .....
को ..... रू0.....नं0 पं0 .....इनकमटैक्स काटकर (उनकी सेवा निवृत्ति
वेतन एक बार में इस आदेश तथा निर्धारित फार्म पर रसीद प्रस्तुत करने पर भुगतान करें ।
यह भुगतान दिनांक..... से प्रारम्भ होगा ।

हस्ताक्षर .....
मुख्य नगर अधिकारी
नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम

टिप्पणी– इस आदेश द्वारा देय पेंन्शन निम्नांकित दशाओं को छोडकर केवल पेंन्शनर को देय होगी ।
(क) उन व्यक्तियों को जिनके लिए मुख्य नगर अधिकारी विशेष रूप से आदेश कर दें ।
(ख) उन व्यक्तियों को जो बीमारी अथवा शारीरिक अशक्ति के कारण स्वयं उपस्थित होने में असमर्थ हों ।
यदि वे पहले से मुख्य नगर अधिकारी से आदेश प्राप्त कर लें उपरोक्त में से प्रत्येक दशा में भुगतान किसी नगर निगम अधिकारी अथ
अन्य ऐसे व्यक्ति के जिसके लिए मुख्य नगर अधिकारी अपनी स्वीकृति दें, के द्वारा सम्बन्धित पेंन्शनर के जीवित होने के प्रमाण पत्र
पर भुगतान किया जायेगा ।

प्रपत्र–झ

विनियम–12 (ख–5) (ड.)

घोषित पत्र

चूंकि ..... यह अग्रिम स्वीकृति करने वाले वैध प्राधिकारी का पद लिखिये मुझे
श्री .....के नामोदिष्ट व्यक्ति (वैध उत्तराधिकारी के रूप में) अंकन रू0 .....
..... शब्दों में मृत्यु सम्मलित सेवा निवृत्ति उपादान और रूपये..... प्रति माह सेवा– निवृत्ति वेतन का सही धन निर्धारित किये जाने और आवश्यक जांच की पूर्ति की प्रत्याशा में अग्रिम रू॰ से अंतकालीन भुगतान करने के लिए सहमत हो गये । अतः में इस लेख द्वारा यह स्वीकार करता हूँ कि उपादान और सेवा निवृत्ति वेतन के मासिक

अग्रिम (ऐडवांस) के ग्रहण करने में मैं पूरी तरह यह समझता हूँ कि वह मुझे देय मृत्यु सम्मलित सेवा निवृत्ति उपादान और सेवा निवृत्ति वेतन की आवश्यक यथाविधि जॉच पूरी होने पर संशोधनीय हैं और मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि इस संशोधन में मैं इस आधार पर कोई आपत्ति न करूँगा कि प्रत्याशित मृत्यु सम्मलित सेवा निवृत्ति उपादान या मासिक सेवा निवृत्ति को इस समय मुझे भुगतान किया जा रहा है । उसे मृत्यु सम्मलित सेवा निवृत्ति उपादान या और मासिक सेवा निवृत्ति वेतन से अधिक हैं, जो मुझे अग्रिम रूप से स्वीकृत किया जायेगा । मैं यह भी प्रतिज्ञा करता हूँ कि मृत्यु सम्मलित सेवा निवृति उपादान और मासिक निवृत्ति वेतन का जो धन अग्रिम रूप से स्वीकार किया जाये, उससे अधिक जो भी भुगतान मुझे होगा मैं तुरन्त लौटा दूँगा ।

हस्ताक्षर के साथ पता सहित

1–

2–

हस्ताक्षर
दिनाकं
पद नाम
(यदि नगर निगम कर्मचारी से)
स्टेशन
दिनांक

प्रपत्र–ज

विनियम–12 (2)

सेवा निवृत्ति वेतन भुगतान

आदेश पत्र का कम संख्या .....

बाउचर संख्या .... दिनांक .....

मुझें .....सन् 1999 .....के लिए प्राप्त सेवा निवृत्ति का ..... मैने प्राप्त किया ।

पूरा प्राप्त धन .....

कटौती .....

इनकम टैक्स .....

अन्य .....टिकट

..... पेंन्शन के हस्ताक्षर

प्रमाणित किया जाता है कि ..... जीवित हैं, तथा वह मेरे सम्मुख आज उपस्थित हुए ।

दिनांक ..... हस्ताक्षर ।

(अधिकारी का पूरा नाम)
पूरा पद .....

उपादान अथवा सेवा निवृत्ति वेतन पेंशन का प्रकार
स्वीकृर्ति कर्ता प्राधिकारी
उपादान का स्वीकृत धनांक
सेवा–निवृति वेतन (पेंशन)
का धनांक .....
भुगतान के प्रारम्भ का दिनांक
स्वीकृति का दिनांक ..... सेवा–निवृत्ति वेतन भुगतान आदेश संख्या .....निर्गत किया ।

हस्ताक्षर
लेखाधिकारी

प्रपत्र–ट

(सेवा निवृत्ति वेतन पाने वाले अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर करने हेतु)

चूंकि .....(यहा सेवा निवृत्ति वेतन पेंशन सेवानिवृत्ति उपादान/मृत्यु सम्मलित सेवानिवृत्ति उपादान स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी का पद नाम लिखिये, ने रू0 .....(रूपया.....) प्रति मास मेरा पेंशन के रूपमें तथा (अथवा रू0 .....) उपादान मृत्यु सम्मलित सेवा निवृत्ति उपादान के रूप में भुगतान करना स्वीकार कर लिया गया हैं । अतः में इस लेख द्वारा अंगीकार करता हूँ कि उपरोक्त कथित धन के स्वीकार करने में मैं पूर्ण रू॰ से यह समक्षता हूँ कि पेंशन/उपादान मृत्यु सम्मलित सेवा निवृत्ति उपादान जो मुझे विनियमों के अर्न्तगत देय हो, उससे अधिक होने की दशा में संशोधनीय (सब्जेक्ट टू रिवीजन) है तथा में बचन देता हूँ कि इस प्रकार के संशोधन (रिविजन) में मुझे कोई आपत्ति न होगी । मैं यह भी बचन देता हूँ कि मैं उस धनांक से, जिसका में अन्तिम रूप से अधिकारी होऊँ, अधिक भुगतान किया गया धन मैं लौटा दूँगा ।

मैं इस लेख द्वारा यह भी घोषणा करता हूँ और वचन देता हूँ कि नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम कर्मचारियों के सेवा निवृत्ति सुविधा तथा सामान्य भविष्य निधि विनियम 1999 के विनियम 3 के उप नियम 2 (क) तथा 2 का (ख) के अनुसार भविष्य निधि के मेरे भाग धन में आगे चलकर पाये गये अधिक भुगतान के धन को भी में लौटा दूँगा तथा मुख्य नगर अधिकारी को मैं यह अधिकार देता हूँ कि वे इस प्रकार के अधिक भुगतान किये धन का भविष्य में मुझे देय पेंशन अथवा मेरे उत्तराधिकारियों को देय मेरी पेंशन से काट लें ।

हस्ताक्षर
अधिकारी/कर्मचारी

1– साक्षी के हस्ताक्षर
पता व पेशा
2– साक्षी के हस्ताक्षर
पता व पेशा

नोट– इस घोषणा पत्र पर प्रार्थी के निवास स्थान का पता लिखे ।

प्रपत्र–ठ

मृत्यु सम्मलित सेवा निवृत्ति उपादान तथा सेवा निवृत्ति वेतन स्वीकृत हेतु औपचारिक (फार्मल) प्रार्थना पत्र पेंशन (मृत्यु सम्मलित सेवा निवृत्ति उपादान तथा सेवा निवृत्ति वेतन स्वीकृति हेतु प्रार्थना पत्र देने वाले अधिकारी द्वारा भरे जाने वाला घोषणा पत्र ।)

प्रेषत,

.....
.....
.....

सेवा में,

.....
.....
.....

विषयः– मृत्यु सम्मलित सेवा निवृत्ति उपादान तथा सेवा निवृत्ति हेतु प्रार्थना पत्र ।

महोदय,

निवेदन है कि मुझे दिनांक ..... कि सेवा अवधि पूर्ण करके सेवा निवृत होना है, क्योंकि मेरा जन्म दिनांक ..... हैं । इस कारण निवेदन है कि कृप्या मेरी पेंन्शन व उपादान जो मुझे प्राप्त हैं, मेरे सेवा निवृत्ति के दिनांक से तुरन्त स्वीकृत करने की कार्यवाही कीजिये ।

2– मैं यह धोषित करता हूँ कि मेने इस पेंशन तथा उपादान जिसके लिए प्रार्थना पत्र दे रहा हूँ, के योग्य बनाने वाली सेवा के किसी भाग के लिए न किसी पेंशन हेतु प्रार्थना पत्र दिया है, और न कोई पेंशन अथवा उपादान प्राप्त ही किया हैं तथा न मैं इसके बाद इस प्रार्थना पत्र तथा इस पर हुऐ आदेशों का उल्लेख किये बिना कोई प्रार्थना पत्र दूँगा ।

3– मैं निम्नाकिंत संलग्न कर रहा हूँ –

1– अपने हस्ताक्षरो के दो प्रमाणित नमूने

2– परिपत्र के आकार के अपने दो प्रमाणित फोटो

3– दो पर्चिया स्लिप जिसमें से प्रत्येक पर मेरे बाये हाथ के अगूँठे तथा अन्य अगुलियों के चिन्ह् (थम्ब एन्ड इम्प्रेशन) है तथा

4– दो पचियॉ जिसमें प्रत्येक पर मेरी ऊँचाई और पहचान चिन्हों के विवरण दिये हैं ।

5– मेरा वर्तमान पता ..... तथा .....

के बाद का पता ..... होगा ।

दिनांक :

प्रपत्र–ढ

श्री ..... भूतपूर्व ..... कार्यालय/विभाग के परिवार के लिए पारिवारिक सेवा निवृत्ति (फैमली पेंन्शन) हेतु प्रार्थना पत्र–

1– प्रार्थी का नाम –

2– मृत अधिकारी/सेवा निवृत्ति वेतन प्राप्तकर्ता (पेंन्शनर) के सम्बन्ध (रिलेशनशिप)

3– यदि मृतक सेवा निवृत्ति वेतन प्राप्तकर्ता (पेन्शनर) था तो उसकी सेवा निवृत्ति की दिनांक

4– अधिकारी/सेवा निवृत्ति वेतन प्राप्तकर्ता (पेंन्शनर) की मृत्यु का दिनांक (किन्डर्ड)

5– मृतक के उत्तर जीवी रक्त सम्बन्धियों के नाम तथा अवस्थाएं

	नाम	ईसवी सन् के अनुसार जन्म दिनांक
(क) धर्म पत्नी/पति, पुत्र अविवाहित पुत्रीयॉ, विधवा पुत्रियॉ	सौतेले बच्चों तथा गोद लिये बच्चों को सम्मलित करते हुऐ	

.....

ईसवी सन् के अनुसार जन्म दिनांक

नाम

(ख) पिता — सौतेले भाईयों और
माता — सौतेले बहिनों को
सगे भाई — सम्मलित करते हुऐ
अविवाहित सगी बहिन
विधवा सगी बहिन

6– प्रार्थी का विवरण पंजी (डिसमप्टिव रोल)

(1) ईसवी सन् के अनुसार जन्म दिनांक

(2) ऊँचाई

(3) चेहरे आदि का वैयक्तिक चिन्ह् (यदि कोई हो)

(4) हस्ताक्षर अथवा बांये हाथ के अगूठे
तथा अंगुलियों के चिन्ह् कनिष्ठका अनामिका मध्यमा
तर्जनी अंगूठा

टिप्पणी– यदि उपरोक्त में से कोई धनांक अथवा दिनांक लेखाधिकारी द्वारा दिये गये धनाकों अथवा दिनांक से भिन्न हो तो उसकी भिन्नता के स्पष्टीकरण अलग लेख में दिये जाने चाहिए ।

मुख्य नगर लेखा निरीक्षक

चतुर्थ भाग

कम सं0 दिनांक .....

(ग) सेवानिवृत्ति वेतन (पेंन्शन) स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी के आदेश .....

अधोहस्ताक्षरी ने अपने आपको सन्तुष्ट कर लिया है कि श्री .....द्वारा की गई सेवा पूर्ण रूप से सन्तोषजनक रही हैं, तथा इस आदेश द्वारा सं0 .....(रू0 .....) पूरा मृत्यु सम्मलित सेवा निवृत्ति उपादान और सेवानिवृत्ति वेतन (पेंन्शन) जिसका धनांक रू0 .....(रू0 .....) प्रतिमाह होता है, स्वीकार करता हूँ । इस पेंन्शन का भुगतान दिनांक .....से प्रारम्भ होगा ।

अथवा

अधोहस्ताक्षरी ने अपने आपको सन्तुष्ट कर लिया है कि श्री ..... द्वारा की गयी सेवा पूर्ण रूप से सन्तोषजनक नही रही है तथा आदेश दिया जाता है कि इन विनियमों के अनुसार देय सेवानिवृत्ति (पेंन्शन)/मृत्यु सम्मिलित–सेवा निवृत्ति उपादान का पूरा धनांक रूपये .....(यहा या तो निश्चित धन दीजिये अथवा प्रतिशत लिखिए) से कम कर दिया जावे । इस पेंन्शन का भुगतान धनांक ..... से प्रारम्भ होगा ।

यह आदेश इस प्रतिबन्ध के साथ दिया जाता है कि यदि भविष्य में किसी समय पेंन्शन का धनांक सेवानिवृत्त आधिकारी की देय पेंन्शन के धनांक से अधिक पाया जाय तो उसे इस प्रकार पाया गया अधिक भुगतान का धन वापस लौटाना पडेगा । सेवानिवृत्त अधिकारी से इस प्रतिबन्ध को स्वीकार करते हुए घोषणा पत्र प्राप्त कर लिया गया है तथा इस आदेश के साथ संलग्न हैं ।

हस्ताक्षर

मुख्य नगर अधिकारी/मुख्य नगर लेखा परीक्षक
नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम

संक्षेपांकी (डांकट)
सेवानिवृत्ति वेतन (पेंन्शन) अथवा उपादान हेतु प्रार्थना पत्र

तृतीय भाग

(क) विभागीय अधिकारी/विभागाध्यक्ष की टिप्पणी–

1– प्रार्थी के चरित्र और पिछले आचरण के विषय में

2– यदि कोई निलम्बन अथवा पदावनति हो तो उसका विवरण

3– प्रार्थी द्वारा पहले प्राप्त उपादान अथवा पेंशन
यदि कोई हो तो उसका विवरण

4– अन्य टिप्पणी यदि कोई हो

5– अभ्यर्थित सेवा में संस्थित होने तथा उसके स्वीकार/अस्वीकार किए जाने के विषय में विभागीय अधिकारी/विभागाध्यक्ष का निश्चित मत (स्पेसिफिक ओपीनियन) (देखिए सि0 स0 रेगुलेशन आर्टिकिल 917 (1)) ।

विभागीय अधिकारी/विभागाध्यक्ष हस्ताक्षर

(ख) लेखा विभाग की टिप्पणी

क्रम संख्या ..... दिनांक .....

पृष्ठ संख्या (1) व (2) पर दिये विवरण की जॉच सेवा पुस्तिका/सेवा सूची (सर्विस रोल) के लेखो से की गई । अंहकारी सेवा निम्न प्रकार निकलती हैं । वर्ष मास दिन

(1) मृत्यु सम्मलित सेवा निवृत्ति उपादान हेतु,

(2) सेवा निवृत्ति वेतन (पेंन्शन) हेतु,
तथा उपरोक्त के लिए धन निम्न प्रकार निकलते है–

(1) मृत्यु सम्मलित सेवा निवृत्ति
उपादान ..... (रू0 .....)

(2) सेवा निवृत्ति वेतन (पेंन्शन) (रूपया.....)
और पेंन्शन दिनांक से देय हैं ।

.....
लेखा अधिकारी

(ग) लेखा परीक्षा विभाग
कम संख्या दिनांक

श्री ..... पद .....
के मृत्यु सम्मलितसेवा निवृत्ति उपादान तथा सेवानिवृत्ति वेतन (पेंन्शन) के मामले, जिनका विवरण इस प्रपत्र में दिया हुआ हैं,
की मैने जॉच की । मृत्यु सम्मलित सेवा निवृत्ति उपादान का धन रूपया ..... (रूपया.....)
निकलता हैं तथा सेवानिवृत्ति वेतन (पेंन्शन) के धन रूपया .....(रूपया .....)
प्रतिमास होता हैं, जिसका भुगतान दिनांक ..... से प्रारम्भ होगा ।

प्रार्थना पत्र का दिनांक — हस्ताक्षर
प्रार्थी का नाम — तथा स्वीकृतिकर्ता
अन्तिम नियुक्ति — प्राधिकारी का
मृत्यु सम्मिलित सेवानिवृत्ति — पद

द्वितीय भाग

सेवाकाल की बाधाओं का उल्लेख करते हुए सेवा का इतिहास

जन्म दिनांक

स्थापना (स्टेवलिशमेन्ट)	नियुक्ति	वेतन	स्थानापन्न वेतन	आरम्भ का दिनांक	समाप्ति का दिनांक	सेवा माना गया समय	सेवा न माना गया समय	टिप्पणी	सत्यापन किस प्रकार किया गया	लेखा अधिकारी की टिप्पणी	मुख्य नगर लेखा परीक्षक की टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						वर्ष मास दिन	वर्ष मास दिन			वर्ष मास दिन	

लेखा अधिकारी

सेवा का कुल समय .....

.....

विभागीय अधिकारी/विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर

(ग) किसी ऐसे व्यक्ति को छोडकर जो किसी ऐसे व्यक्ति से जो क्रिमिनल प्रोसिजर कोर्ट के अर्न्तगत किसी श्रेणी के एक के अधिकारी का उपयोग करता हो ।

(घ) उपर की (क) (ख) व (ग) प्रत्येक दशा में लेखा अधिकारी को वर्ष में कम से कम एक माह उपरोक्त जीवन सार्टिफिकेट के अतिरिक्त सम्बन्धित अधिकारी के जीवित रहने का सबूत प्राप्त कर लेना चाहिए ।

(ड.) पेंशनर की मृत्यु होने पर उसके परिवार को इस आदेश पत्रिका को पेंशनर की मृत्यु के दिनांक को सूचित करते हुए मुख्य नगर अधिकारी को तुरन्त लौटा देना चाहिए ।

सेवा– निवृत्ति का धनांक – लेखाधिकारी द्वारा प्रत्येक मास भुगतान नीचे लिखा जाना चाहिए ।

मांस जिसका सेवा–निवृत्ति वेतन 20 ..... 20..... वेतन
देय हो (मार्च से फरवरी) भुगतान का दिनांक व बाउचर संख्या — लेखा अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रपत्र–थ

नगर निगम, हल्द्वानी–काठगोदाम

पेंशन राशिकरण के लिए प्रार्थना–पत्र

फोटो

सेवा में,

प्रशासक/मुख्यनगरअधिकारी
नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम

महोदय,

मेरा विवरण निम्नवत हैं । मुझे पेंशन राशिकरण स्वीकृत करने की कृपा करें ।

1– नाम : _____

2– पिता/पति का नाम : _____

3– सेवा निवृति के पश्चात का पता : _____

(क) स्थायी निवास स्थान : _____

(ख) पत्र व्यवहार का पता : _____

4– जन्म तिथि : _____

5– सेवा प्रारम्भ करने की तिथि : _____

6– सेवा–निवृत्ति की तिथि : _____

7– अन्तिम बार कहा से सेवा निवृत्ति हुए का पद नाम तथा कार्यालय/विभाग का नाम व पता _____

8– मृत्यु होने की दशा में नामिनी का नाम एवं पता जिसे जीवन कालीन अवशेष का भुगतान किया जाये । _____

9– पेंशन का भाग या पेंशन की धनराशि जिसका राशिकरण अपेक्षित हैं । _____

10– भुगतान किस बैंक से आहरित करना चाहते हैं । _____

11– राशिकरण का उद्देश्य – अनुमानित व्यय

(1) भवन के क्रय अथवा निर्माण " "

(2) ऋण की अदायगी हेतु " "

प्रार्थी के हस्ताक्षर

नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम

प्रपत्र–त

श्री .....भूतपूर्व ..... कार्यालय/विभाग के परिवार के लिए मृत्यु सम्मिलित सेवा–निवृत्ति उपादान (डेथ कम रिटायरमेंन्ट ग्रेच्यूटी)/अवशेष उपादान (ग्रेच्यूटी) स्वीकृति हेतु प्रार्थना पत्र–

1– प्रार्थी का नाम–

2– मृत अधिकारी/सेवा निवृत्त वेतन प्राप्तकर्ता (पेंशनर) से सम्बन्ध (रिलेशनशिप)

3– जन्म दिनांक

4– यदि मृतक सेवा निवृत्ति वेतन प्राप्तकर्ता (पेंशनर) था तो उसका सेवा निवृत्ति का दिनांक

5– अधिकारी सेवा निवृत्ति वेतन प्राप्तकर्ता (पेंशनर) की मृत्यु का दिनांक

6– प्रार्थी का पूरा पता

7– प्रार्थी के हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का चिन्ह्

8– (1) .....

(2) .....द्वारा

.....प्रमाणित (अटेस्टेड किया गया ।

9– साक्षी का नाम व पूरा पता हस्ताक्षर

(1) .....

(2) .....

ह0 (अस्पष्ट)

मुख्य नगर अधिकारी,

नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 04 हिन्दी गजट/19–भाग 8–2015 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।